

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2020—फाल्गुन 2, शक 1941

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. ई. 1-447-2019-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक No. 33/03/2020-EO (SM-I)(9), दिनांक 20 जनवरी 2020 के अनुक्रम में श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

क्र. ई. 1-447-2019-5-एक.—नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-462-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 7 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक, एक सौ सैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1)—श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस., सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 24 जनवरी 2020 तक Promotion of Davos Switzerland Annual Meeting of World Economic Forum की बैठक में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 जनवरी 2020 तक, दो दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-766-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएएस., सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जनवरी एवं 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वार्यंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं

विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 फरवरी से 31 मार्च 2020 तक, साठ दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वार्यंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वार्यंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वार्यंगणकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2020 तक, छः दिन तक “Education World Forum and the British Educationl Training and Technology Show” सहभागिता हेतु यू. के. जाने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2020 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने के पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-916-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती जमुना भिड़े, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जमुना भिड़े, राप्रसे, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1006-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 3 से 7 फरवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 फरवरी 2020 एवं दिनांक 08,09 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे, मुख्य

कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1099-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे., (2017) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़, जिला मुरैना को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11, 12 अप्रैल 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11, 12 अप्रैल 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. ई-1-13-2020-5-एक.—डॉ. फर्दिग राहुल हरिदास, भाप्रसे (2012), अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी, परिषद् को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-452-2019-5-एक.—श्री पंकज राग, भाप्रसे, (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश एवं आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल को संस्कृति एवं पुरातत्व संग्रहालय से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2020 तक Promotion of Davos Switzerland Annual Meeting of World Economic Forum की बैठक में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 28 जनवरी 2020 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. ई-1-25-2020-5-एक.—श्रीमती रेणु पंत, भाप्रसे (2000), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रेणु पंत, द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री दिनेश जैन, भाप्रसे (2011), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-28-2020-5-एक.—श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2004) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

उपरोक्तानुसार श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।



क्र. ई-1-451-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये आवंटन वर्ष 1996 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव, वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/- (पे-मेट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री डी. पी. आहूजा, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	वि.क.अ-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री नीतेश कुमार व्यास, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.	—
3	श्री फैज अहमद किदवई, सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.	—
4	श्री अमित राठौर, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.	वि.क.अ-सह-पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री उमाकांत उमराव/अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	वि.क.अ-सह-अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
6	श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.	वि.क.अ-सह-आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

## संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. ई-1-22-2020-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है, के स्थान पर संशोधन करते हुए उन्हें केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, आयएस., प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिकी नीति एवं प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 13 से 26 फरवरी 2020 तक, चौदह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्र. ई-1-6-2020-5-एक.—श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग को दिनांक 6 से 13 फरवरी

2020 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को तथा प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग का प्रभार श्री एम. के. अग्रवाल, आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे एवं श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी/होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-649-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 4 से 14 फरवरी 2020 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी को आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2020

क्र. ई-1-29-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अंशुल गुप्ता (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महु जिला इन्दौर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा, जिला जबलपुर.
2.	श्री गौरव बैनल (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा जिला जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर, जिला उज्जैन.
3.	श्री अभिलाष मिश्रा (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर, जिला उज्जैन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महु, जिला इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 13 से 25 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे, (2007), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-913-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 27 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 26 जनवरी एवं 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-968-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएस., अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-986-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 6 से 17 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 6 से 14

जनवरी 2020 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. ई-5-1079-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवपाल, भाप्रसे (2009) अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 24 से 25 जून 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री शिवपाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवपाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. ई-5-933-आयएस-लीव-5-एक.—श्री दीपक आर्य, आयएस., कलेक्टर, जिला बालाघाट को समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 22 फरवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 23 से 29 फरवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्र. ई-5-892-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएस., आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर को दिनांक 5 से 12 फरवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आशीष सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे, अपर आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशीष सिंह, भाप्रसे द्वारा आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्र. ई-5-865-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 8 से 17 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 8 से 21 जनवरी 2020 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-829-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएस., तत्कालीन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 14 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2019 तक, उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1053-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शैलबाला मार्टिन, आयएस., संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव "कार्मिक"।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. ई-1-317-2018-5-एक.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2020 के अनुक्रम में, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे (2003), कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा धारित पद को दिनांक 1 जनवरी से 14 मई 2019 एवं 28 मई 2019 से आगामी आदेश तक, भाप्रसे की अधिसमय वेतनमान में करते हुए उक्त पद को असंवर्गीय होने से उसे भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में शामिल सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(2) दिनांक 15 से 27 मई 2019 की अवधि पदग्रहण काल अवधि एवं सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के लिये मान्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अर्चना सोलंकी, उपसचिव "कार्मिक"।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्र. एफ-1(ए)20-2006-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय, अअवि, पु.मु., भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 जनवरी व 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पु. मु., भोपाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय, अअवि, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-104-12016-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री कार्तिकेयन के., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बैतूल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 में दिनांक 29 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर मद्रुरै (तमिलनाडु) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1	श्री कार्तिकेयन के.	—	स्वयं
2	श्रीमती सत्यभामा एन.	—	माताजी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री कार्तिकेयन के., भापुसे का चालू कार्य श्री रामस्नेही मिश्रा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, बैतूल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के., भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कार्तिकेयन के., भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के., भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के., भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध) पु. मु. भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे पु. मु., भोपाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्र. एफ 1(ए) 157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/भर्ती पु. मु., भोपाल का दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 02 फरवरी 2020 व 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, पु. मु., भोपाल भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/भर्ती पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)190-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 दिसम्बर 2019 से 18 जनवरी 2020 तक, छियालीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश, अवकाश के साथ मुम्बई (महाराष्ट्र) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बियानवे दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/146/2020,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 36 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
"36.	शाजापुर	श्री ब्रजेश गोयल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)2554/2019,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh. hereby. makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20<sup>th</sup> September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 36 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
"36.	Shajapur	Shri Brajesh Goyal, IIIrd Additional Sessions Judge, Shajapur.

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

फा.क्रमांक 516/2020/21-ब(एक),राज्य शासन, मध्यप्रदेश, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आन्नद कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि दिनांक 17.02.2021 तक करता है।

फा. क्रमांक 17(ई)43/2009/21-ब(एक)/206/2020. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, 1, 2, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 46, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 82, और 85 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

### सारणी

अनु क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती निकिता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
2.	श्री चन्द्र शेखर राठौर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, जोबट	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
7.	सुश्री नन्दनी उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
9.	श्री दीनानाथ वाडिवा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
12.	श्रीमती संगप्रिया भद्रसेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, लहार	लहार	भिण्ड	लहार	लहार



15.	श्री रामसिंह बघेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बुरहारपुर	बुरहारपुर	बुरहारपुर	बुरहारपुर	बुरहारपुर
16.	कुमारी चेतना पालीवाल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
17.	श्री मनमोहन सिंह कौरव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिजावर	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर
25	श्रीमती मीता जडेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कन्नौद	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
30.	श्री तनवीर खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना	गुना	गुना	गुना	गुना
34.	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हरदा	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
35.	श्री विजय कुमार पाठक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
37.	श्री महेन्द्र पाल सिंह, बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38.	श्री हरीश वनवंशी, दसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39.	श्री धन कुमार कुड़ोपा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पाटन	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
43.	श्री विनोद कुमार चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मंडला	मंडला	मंडला	मंडला	मंडला

46.	श्री सचेन्द्र कुंवर भदकारिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
56.	श्री अंजय सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
57.	श्रीमती नमीता बौरासी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जावरा	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
58.	श्री महेन्द्र कुमार उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
60.	श्री सिराज अली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर	सागर	सागर	सागर	सागर
62.	श्री पार्थ शंकर मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सतना	सतना	सतना	सतना	सतना
64.	श्री रवि चौकसे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
68.	सुश्री रेनू खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
69.	श्री जयदीप सोनबरसे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
70.	श्री संजीव कुमार पालीवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
71.	श्री अमित नगाइच, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, आगर	आगर	शाजापुर	आगर	आगर

73.	श्री पवन कुमार शंखवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74.	श्री विपेन्द्र सिंह यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, करेरा	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
75.	श्री मुकेश गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
77.	श्री मृणाल मोहित, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैढन	बैढन	सिंगरौली	बैढन	बैढन
78.	श्री पंकज शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
82.	श्री अभिषेक कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
85.	श्रीमती संगीता डावर मौर्य, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर

F.No. 17(E)43/2009/21-B(1)/206/2020,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, Namely:-

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 1, 2, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 46, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 82, and 85 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Smt. Nikita Chouhan, Ist Civil Judge Class-II, Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur
2.	Shri Chandra Shekar Rathore, Additional Judge to Civil Judge Class -I, Jobat	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
7.	Sushri Nandnee Uikc, Ist Civil Judge Class -II, Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
9.	Shri Deenanath Wadiva, IInd Civil Judge Class -I, Betul	Betul	Betul	Betul	Betul
12.	Smt. Sangpriya Bhadrasen, IInd Civil Judge Class -I, Lahar	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
15.	Shri Ramsingh Baghel, IIIrd Civil Judge Class -I, Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
16.	Ku. Chetna Paliwal, IVth Civil Judge Class -I Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
17	Shri Manmohan Singh Kaurav, Ist Civil Judge Class -II, Bijawar	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
25.	Smt. Meeta Jandel, IInd Civil Judge Class-II, Kannod	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
30.	Shri Tanveer Khan, IInd Civil Judge Class-II, Guna	Guna	Guna	Guna	Guna
34.	Smt. Anuja Shrivastava, Ist Civil Judge Class-II, Harda	Harda	Harda	Harda	Harda

35.	Shri Vijay Kumar Pathak, IInd Civil Judge Class-I, Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
37.	Shri Mahendra Pal Singh, XXth CJ-I, Indore	Indore	Indore	Indore	Indore
38.	Shri Harish Vanwanshi, Xth Civil Judge Class-I, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39.	Shri Dhan Kumar Kudopa, IInd Civil Judge Class-I, Patan	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
43.	Shri Vinod Kumar Choudhary, Ist Civil Judge Class-II, Mandla	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
46.	Shri Sachendra Kuamr Bhadkariya, IIIrd Civil Judge Class-II, Morena	Morena	Morena	Morena	Morena
56.	Shri Anjay Singh, IInd Civil Judge Class-I, Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
57.	Smt. Namita Borasi, Civil Judge Class-I, Jaora	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
58.	Shri Mahendra Kumar Uike, IVth Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Rewa	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
60.	Shri Siraj Ali, IIIrd Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Sagar	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
62.	Shri Partha Shankar Mishra, IInd Civil Judge Class -I, Satna	Satna	Satna	Satna	Satna
64.	Shri Ravi Chouksey, IInd Civil Judge Class-I, Sehore	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
68.	Ms. Renu Khan, Ist Civil Judge Class-II, Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol



69.	Shri Jaideep Sonbarse, Additional Judge to Civil Judge Class-I, Jaisinghnagar	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
70.	Shri Sanjeev Kumar Paliwal, IIIrd Civil Judge Class -I, Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
71.	Shri Amit Nagaich, Civil Judge Class -I, Agar	Agar	Shajapur	Agar	Agar
73.	Shri Pawan Kumar Shankhvar, Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I, Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74.	Shri Vipendra Singh Yadav, IInd Civil Judge Class -I, Karera	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
75.	Shri Mukesh Gupta, Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I, Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
77.	Shri Mrinal Mohit, IIIrd Civil Judge Class -II, Waidhan	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
78.	Shri Pankaj Sharma, IInd Civil Judge Class-I, Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
82.	Shri Abhishek Kumar, IInd Civil Judge Class-II, Umaria	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
85.	Smt. Sangeeta Dawar Mory, Civil Judge Class-I, Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2020

क्र. B-255.—रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी-156-एक-7-3-2019, भाग-1 जबलपुर दिनांक 13 जनवरी 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए बैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार दिनांक 13 अप्रैल 2020 को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों हेतु अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार अवकाश दिवस दिनांक 18 अप्रैल 2020 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 13th January 2020

No.C-156-I-7-3-2019 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2020 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	New Year's Day	01-01-2020	Wednesday
2	Mahashivratri	21-02-2020	Friday
3	Holi Holidays	09-03-2020 10-03-2020 11-03-2020	Monday Tuesday Wednesday
4	Gudi Padwa/Chaiti Chand	25-03-2020	Wednesday
5	Ramnavmi	02-04-2020	Thursday
6	Mahaveer Jayanti	06-04-2020	Monday
7	Good Friday	10-04-2020	Friday
8	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2020	Tuesday
9	Buddh Purnima	07-05-2020	Thursday
10	Id-UI-Fitar	25-05-2020	Monday

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Id-UI-Zuha	01-08-2020	Saturday
12	Raksha Bandhan	03-08-2020	Monday
13	Janmashtmi	12-08-2020	Wednesday
14	Ganesh Chaturthi	22-08-2020	Saturday
15	Sarv Pitra Moksha Amavasya	17-09-2020	Thursday
16	Gandhi Jayanti	02-10-2020	Friday
17	Mahanavmi/ Mahaastmi Dussehra (25-10-2020 Sunday)	24-10-2020 26-10-2020 27-10-2020 28-10-2020 29-10-2020	Saturday Monday Tuesday Wednesday Thursday
18	Id-milad un-Nabi	30-10-2020	Friday
19	Deepawali (14-11-2020 Saturday)	12-11-2020 13-11-2020 14-11-2020 16-11-2020	Thursday Friday Saturday Monday
20	Gurunanak Jayanti	30-11-2020	Monday
21	Christmas Day	25-12-2020	Friday

## NOTES:—

1. Republic Day dated 26-01-2020, Moharrum dated 30-08-2020, falls on Sunday & Independence Day dated 15-08-2020, fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays, falling on 18th January, 15th February, 21<sup>st</sup> March, 18th April, 16th May, 20th June, 18th July, 15th August, 19th September, 17<sup>th</sup> October, 21st November, 19<sup>th</sup> December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 18th May, 2020 to 12th June, 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December, 2020.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.



भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

फा. क्र. 1 (सी) 907-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला रायसेन के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री सनत कुमार पाण्डेय (नामांकन क्र. एम. पी./4/2005) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री सनत कुमार पाण्डेय की उक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 8 सितम्बर 1967 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री सनत कुमार पाण्डेय को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री सनत कुमार पाण्डेय, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, रायसेन को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

फा. क्र. 1026-2020-इक्कीस-ब (दो).—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (क्रमांक 7 सन् 1870) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी या राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन, अपील ज्ञापन या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क से छूट प्रदान करती है.

F. No. 1026-2020-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870) the State Government, hereby, remits in whole of the State of Madhya Pradesh, the Court Fees payable on an application, memorandum of appeal or petition made to any Revenue Court or any Revenue Officer or Board of Revenue.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

### सूचना

क्र. एफ-3-05-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7281-टीसी-उपां-नगानि- 2018, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में एम आर-5 के alignment में उपांतरण की पुष्टि करती है.

2. उपरोक्त उपरांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2020

अधिसूचना क्रमांक 52 एफ 1-36/2019/18-3 :: मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नगर पालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है :-

स.क्र.	जिले का नाम	क्रं.	नगर पालिका परिषद का नाम	क्र.	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता
1.	विदिशा	1	विदिशा	1	श्री मनोज कुमार कुशवाह पिता श्री छोटेलाल कुशवाह, निवासी किले अंदर बैस दरवाजा, विदिशा।
				2	श्री मोनूपाल पिता श्री किशनपाल, निवासी चिरोल वाली माता मंदिर मार्ग विदिशा।
				3	श्री जे.पी. चतुर्वेदी पिता श्री बी.पी. चतुर्वेदरी, निवासी 48, दुर्गा चौक, तलैया विदिशा।
				4	श्री बसीम खान पिता श्री रसीद खान, निवासी दुर्गा नगर, गली नम्बर 2, विदिशा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.

## आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्र. 404-139-2020-1-उनसठ.—चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-49-2009-1-उनसठ, दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23) की धारा 33 जी द्वारा डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल को औषधि निरीक्षक, (आयुर्वेद) नियुक्त किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल से संबंधित अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए उनके स्थान पर डॉ. राजकुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, संचालनालय, भोपाल को औषधि निरीक्षक, आयुर्वेद नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलावती उईके, अवर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. क्यू-एस.सी.-2-9-20-2020-120.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले के भीतर 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर, जिला अशोकनगर वर्ष 2020 के लिए सम्पूर्ण जिला अशोकनगर में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार (2)	दिन (3)	दिनांक (4)	क्षेत्र (5)
1.	भुजरिया	मंगलवार	4-8-2020	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर
2.	दुर्गा अष्टमी	शनिवार	24-10-2020	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर
3.	भाईदूज	सोमवार	16-11-2020	सम्पूर्ण जिला अशोकनगर

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे।

मंजू शर्मा, कलेक्टर

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. क्यू-एस.सी.0-2-2020-1323.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले के भीतर 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, छोटे सिंह, कलेक्टर, जिला भिण्ड वर्ष 2020 के लिए सम्पूर्ण जिला भिण्ड में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार (2)	दिवस (3)	दिनांक (4)	क्षेत्र (5)
1.	भाईदूज (होली का दूसरा दिन)	बुधवार	11-3-2020	सम्पूर्ण जिला
2.	भुजरिया मेला	मंगलवार	4-8-2020	सम्पूर्ण जिला
3.	दीपावली (भाईदूज)	सोमवार	16-11-2020	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे।

छोटे सिंह, कलेक्टर

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. क-व.लि.-2020-766.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेश कुमार कौल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2020 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 (तीन) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्याहौर (4)	विवरण (5)
1.	18-8-2020	मंगलवार	पोला	सम्पूर्ण जिले के लिए
2.	2-9-2020	बुधवार	अनंत चतुदर्शी का दूसरा दिन	सम्पूर्ण जिले के लिए
3.	16-11-2020	सोमवार	भाईदूज	सम्पूर्ण जिले के लिए

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लिए लागू नहीं होंगे।

राजेश कुमार कौल, कलेक्टर

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. 73-एस.सी.-2-2019.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 256-446-अड्डीस-2-18, दिनांक 21 फरवरी 2018 के आधार पर एवं जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव अनुसार एतद्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय, नौगांव का नाम सूची के (3) में वर्णित अनुसार परिवर्तित किये जाने की अधिसूचना जारी की जाती है:—

स. क्रमांक (1)	महाविद्यालय का वर्तमान नाम (2)	महाविद्यालय का नया नाम (3)
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नौगांव	शास. बापू महाविद्यालय, नौगांव

मोहित बुंदस, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

झाबुआ, दिनांक 31 जनवरी 2020

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 प्रकाशन में दण्ड प्रक्रिया, 1973-1974 का स. 2 की धारा-2 के खण्ड-एस, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—

में, प्रबल सिपाहा, जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ, दण्ड प्रक्रिया, 1973-1974 का स. 2 की धारा-2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम उमरी को थाना कालीदेवी (तहसील रामा) से थाना झाबुआ (तहसील झाबुआ) में सम्मिलित करता हूँ.

In exercise of the powers conferred by Section 2(s) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974) as published in Government of Madhya Pradesh, Home Department's memorandum No. F-2(ka)15-99-B-3-two, Bhopal, dated 11th October 2004 causing partial amendment in the prior notification in the prior notification from the date of publication of this notification in this Gazette of Madhya Pradesh by the State Government.—

I, PRABAL SEPAHA, District Magistrate Jhabua, in exercise of the powers conferred in Section 2(s), Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), hereby include village Umree in Police Station Jhabua (Tehsil Jhabua) from Police Station Kalidevi (Tehsil Rama).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रबल सिपाहा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, सहायक, श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

123, देवी अहिल्या मार्ग. जेलरोड, श्रम शिविर, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. बफा-प्रवर्तन-स.श्र.इं.-2020.—में, आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(ए)-5-2011-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2011 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 में प्रकाशित) द्वारा इन्दौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है. जिसके अनुक्रम में निम्नानुसार साप्ताहिक अवकाश दिवस घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)	साप्ताहिक अवकाश दिवस (4)
1	इन्दौर	देपालपुर नगर पंचायत	सोमवार

उपरोक्त क्षेत्र के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूँ.

आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त.

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्र. एस.सी.-2-स्था.अव.-18-2019-20-1737.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-एम-3-2-1999-एक-4-भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, प्रियंका दास (आई.ए.एस.), कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2020 के लिये निम्नानुसार मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1.	11 मार्च 2020	बुधवार	होली की भाईदूज
2.	24 अक्टूबर 2020	शनिवार	महाअष्टमी/महानवमी
3.	16 नवम्बर 2020	सोमवार	दीपावली की भाईदूज

यह आदेश कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा.

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. क्यू-एएससी-2019-343.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2020 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	स्थानीय दिनांक (3)	अवकाश दिन (4)	विवरण (5)
1.	मकर संक्रांति पर्व	15 जनवरी 2020	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
2.	रंगपंचमी	14 मार्च 2020	शनिवार	सम्पूर्ण जिला
3.	भाईदूज (दीपावली)	16 नवम्बर 2020	सोमवार	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उप-कोषालय पर लागू नहीं होंगे।

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ 49-1-रास-यू.ए.-5-2016.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित श्री राजीव चौधरी, संचालक कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है।

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,

अभय वर्मा, राज्यपाल के अपर सचिव.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ 12-1-रास-यू.ए.-5-2012.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) एवं (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं:—

अधिनियम की धारा 25(1) (सात) के अंतर्गत:—

श्री ब्रजेश दत्त अरजरिया, 53, बल्देव बाग, चेरीटल वार्ड, जबलपुर (म. प्र.).

अधिनियम की धारा 25(1) (आठ) के अंतर्गत:—

श्री राजीव चौधरी, संचालक कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल (म. प्र.).

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

अभय वर्मा, राज्यपाल के अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 0001-अ-82-2018-19

अशोकनगर, दिनांक 27 जनवरी 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है।

## अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा है०		
1	2	3	4	5	6	7
अशोकनगर	पिपरई	खिरिका टांका	47/1/1 47/2/1 47/2/2 49/1 49/2 54/7/1 58/1/2 54/7/2 58/4 50 54/5/2 52 53/1 53/2 53/3 53/4 53/5 54/1 54/7/3 54/11/1 54/11/2 54/11/3	7.333 4.589 1.254 0.418 0.627 0.279 0.243 0.586 0.418 0.627 0.407 0.794 0.106 0.035 0.141 0.141 0.141 4.306 0.243 0.063 0.004 0.016	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर	थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत थवोन तालाब का निर्माण कार्य

			54/11/4	0.016		
			54/11/5	0.015		
			54/2	1.463		
			54/3	0.836		
			54/5/1	0.23		
			54/6	0.732		
			60/1	0.084		
			54/8/1	0.418		
			54/10	0.209		
			54/8/2	1.045		
			54/8/4	1.000		
			54/9	0.773		
			58/2/1	0.125		
			58/2/2	0.147		
			60/3	0.021		
			55/1	0.230		
			56	0.888		
			55/2	0.355		
			57	1.912		
			58/1/1/1	0.784		
			58/1/1/2	0.784		
			58/1/3	0.039		
			58/2/1	0.125		
			58/3	0.397		
			59	0.272		
			61/1/1	2.160		
			61/1/2	2.020		
			61/2	0.314		
			52/251/1/2	0.366		
			52/257/4	0.010		
			52/255/3	0.470		
			52/257/2	1.575		
			52/251/1/1	0.846		
			52/251/3	0.47		
			52/252	0.481		
			52/255/2	0.366		
			52/255/4	0.157		
			52/257/3	0.031		
			52/254/2	0.105		
			52/256/1	0.063		
			52/258	0.178		
			52/259/2/1	0.088		
			52/255/1	0.836		
			52/257/1	0.69		
			52/253/1	0.867		
			52/254/1	0.721		
			52/261/1	0.324		
			52/260	0.366		
			कुल योग	49.418		

टीप:—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली, जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 0002-अ-82-2018-19

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है।

## अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा है०		
1	2	3	4	5	6	7
अशोकनगर	पिपरई	बमनाई	26/1/1/2	0.241	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर	थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत थवोन तालाब का निर्माण कार्य
			58/3/1	0.366		
			26/1/2/1	3.123		
			26/1/2/2/2	2.090		
			26/1/2/2/1	0.973		
			26/3/1	1.000		
			26/3/2	0.700		
			27/1	0.095		
			32/1	0.295		
			32/2	0.689		
			55	1.068		
			56/1/1	0.325		
			56/1/2	0.912		
			56/2	0.650		
			56/3	0.390		
			56/4	0.294		
			58/3/2	2.561		
			59/2	1.686		
			59/1	0.843		
			61	0.773		
62/1	0.149					
62/2	0.050					
63/1	0.413					
63/2	0.413					
57	2.491					
		कुल योग	21.893			

टीपः—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली, जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0003-अ-82-2018-19

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगग सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है।

### अनुसूची

भूमि का विवरण				रकबा है०	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
1	2	3	4	5	6	7
अशोकनगर	पिपरई	रामपुर मुहाल	2/1	1.829	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर	थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत थवोन तालाब का निर्माण कार्य
			2/2	1.097		
			2/3/1	0.366		
			2/3/2	0.367		
			3/1/क	1.114		
			3/1/ब	0.349		
			3/2/ख	1.672		
			3/2/ग	0.418		
			3/3/1/1	0.185		
			3/3/2/1	0.627		
			3/3/1/2	0.141		
			3/3/2/2	0.627		
			3/3/1/3	0.200		
			3/3/2/3	0.627		
			3/4/1/1	0.563		
			3/4/1/2	0.241		
			3/4/1/3	1.247		
			3/4/2	1.503		
			4/1	0.356		
			4/2	0.240		
			6/1/1	0.239		
			6/1/2	2.020		
			6/1/3	0.302		
			6/2	2.561		

			7/2	1.432		
			14	0.115		
			15	0.021		
			20	0.334		
			21/2	0.258		
			21/1	0.087		
			22	0.126		
			कुल योग	21.264		

टीप:—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली, जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0004-अ-82-2018-19

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है।

### अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा है०		
1	2	3	4	5	6	7
अशोकनगर	पिपरई	जियाजीपुर	117	0.658	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर	थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत थूवोन तालाब का निर्माण कार्य
			140	0.23		
			119/1	0.836		
			119/2/2/क/1/1	0.094		
			119/2/2/क/1/2	0.094		
			119/2/2/ख	0.923		
			121/1/1/1	0.658		
			130/1	1.993		
			131/2	1.16		
			131/3	0.985		
			136/1	0.644		
			147/1	0.826		
			145/1	0.502		
			137/1	1.105		
			136/2	0.328		
			138	0.982		
			139	0.564		
			144/3	1.227		
			141/मिन-1	0.342		

			141/मिन-2	0.343		
			142/1	0.780		
			142/2	0.390		
			144/1/मिन-1	1.463		
			144/1/मिन-2	0.327		
			144/2	1.791		
			137/2	0.368		
			145/2	0.167		
			कुल योग	19.780		

**टीपः—**भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली, जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 47-अ-82-19-20-1035

सागर, दिनांक 29 जनवरी 2020  
मौजा पंजरा पट. ह.नं.-65 तहसील देवरी

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | मदनी जलाशय योजना |
| (2) भूमि का विवरण           | : |                  |
| 1. जिला                     | : | सागर             |
| 2. तहसील                    | : | देवरी            |
| 3. ग्राम                    | : | पंजरा            |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 65               |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.94 हे.         |

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नारायणसिंह वल्द भगताराम	भूमिस्वामी	3	1.01	0.08	
2	हेमचंद नन्हेलाल पिस. भुवानी सतीश ब्रजेन्द्र पिस.मानकचंद इन्द्रानी वेवा मानकचंद	भूमिस्वामी	9/1	1.7		

3	रामप्रसाद वल्द रविशंकर	भूमिस्वामी	9/2	1.5	0.10
4	चेतराम बल्द कुदऊ	भूमिस्वामी	9/3	0.4	
5	चेतराम पिता रविशंकर	भूमिस्वामी	9/4	1.5	
6	निष्कर्ष नावा. वल्द हर्षस्वरूप वली मां रंजना	भूमिस्वामी	62	2.93	0.04
7	हर्षस्वरूप वल्द बैनीप्रसाद	भूमिस्वामी	61	1.8	0.21
8	परमलाल पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	59/1	0.40	0.22
9	नंदलाल पिता निरपत	भूमिस्वामी	59/2	0.12	
10	तुलसीराम पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	59/5	0.40	
11	हरिराम पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	59/6	0.74	
12	कमलाबाई मीराबाई पुत्री बारेलाल	भूमिस्वामी	59/7	0.01	
13	कन्छेदी भगवानदास भागीरथ छोटेला ल कमलेश द्रोपती पिस. गोपाल सियारानी वेवा गोपाल	भूमिस्वामी	80/1	0.01	0.08
14	परमू वल्द बारेलाल	भूमिस्वामी	80/2	0.4	
15	हरिराम वल्द छोटेला ल	भूमिस्वामी	80/3	0.4	
16	नंदलाल वल्द निरपत	भूमिस्वामी	80/4	0.4	
17	रामरानी पति करनसींग	भूमिस्वामी	80/5	0.4	
18	संजय वल्द सत्यनारायण	भूमिस्वामी	89/1	4.0	0.21
19	सन्तोषरानी जोजे सत्यनाराण	भूमिस्वामी	89/2	3.8	
20	सत्यनाराण वल्द सुदामाप्रसाद मुन्नीबाई प्रभाबाई साबित्रीबाई पुत्री सुदामा	भूमिस्वामी	89/3	0.15	
	<b>योग:-किता</b>			<b>22.07</b>	<b>0.94</b>
				<b>हे०</b>	<b>हे०</b>

## अनुसूची-1

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-17-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति

को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-17-(8)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल, दिनांक 29-10-14 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 के अंतर्गत  
नर्मदा घाटी विकास विभाग

ढीमरखेड़ा, 7 जनवरी 2020

क्र.....34../भूअ./2019-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा गाइक्रो उद्यहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## 2. अनुसूची

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा (हे. में)		
कटनी	ढीमरखेड़ा	हरदी प.ह.नं. 24 प्र.क्र.20/अ-82 /19-20	0.187 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भनपुरा खुर्द प.ह.नं. 26 प्र.क्र.21/अ-82 /19-20	0.483 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भटगवां प.ह.नं. 27 प्र.क्र.22/अ-82 /19-20	0.179 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	झुनकी प.ह.नं. 27 प्र.क्र.23/अ-82 /19-20	0.137 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बरेली प.ह.नं. 11 प्र.क्र.24/अ-82 /19-20	0.192 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	धनगवां प.ह.नं. 20 प्र.क्र.25/अ-82 /19-20	0.036 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	परसवारा प.ह.नं. 24 प्र.क्र.26/अ-82 /19-20	0.089 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	चंदोल (वीरान) प.ह.नं. 27 प्र.क्र.27/अ-82 /19-20	0.031 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन



कटनी	ढीमरखेड़ा	भनपुराकला प.ह.नं. 11 प्र.क्र.28/अ-82 /19-20	0.137 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	गढवास प.ह.नं. 27 प्र.क्र.29/अ-82 /19-20	0.080 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पिपरिया प.ह.नं. 25 प्र.क्र.30/अ-82 /19-20	0.358 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सहजपुरी प.ह.नं. 26 प्र.क्र.31/अ-82 /19-20	0.039 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना

क्र. 9965/प्रवा. दिांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)  
अधिनियम 2012 की धारा 3 के अंतर्गत  
नर्मदा घाटी विकास विभाग

ढीमरखेड़ा 25 जनवरी 2020

क्र.....42...../भू.अ./2019-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## 2. अनुसूची

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा (हे. में)		
कटनी	ढीमरखेड़ा	बन्दोरी प.ह.नं. 28 प्र.क्र. 32/अ-83 /19-20	0.016 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बार प.ह.नं. 11 प्र.क्र.33/अ-82 /19-20	0.028 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भसेड़ा प.ह.नं. 27 प्र.क्र.34/अ-82 /19-20	0.138 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भितरीगढ़ प.ह.नं. 4 प्र.क्र.35/अ-82 /19-20	0.019 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भूला प.ह.नं. 06 प्र.क्र. 36/अ-82 /19-20	0.528 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बिजैया प.ह.नं. 07 प्र.क्र.37/अ-82 /19-20	0.109 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	देवरी पाठक प.ह.नं. 26 प्र.क्र.38/अ-82 /19-20	0.345 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	डूंडी प.ह.नं. 45 प्र.क्र.39/अ-82 /19-20	0.069	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	घुघरी प.ह.नं. 01 प्र.क्र.40/अ-82 /19-20	0.236 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	जजनगरा प.ह.नं. 06 प्र.क्र.41/अ-82 /19-20	0.102 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	झिरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.42/अ-82 /19-20	0.119 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	कनौजा प.ह.नं. 05 प्र.क्र.43/अ-82 /19-20	0.353 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	करौंदी प.ह.नं. 23 प्र.क्र.44/अ-82 /19-20	0.075 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	कारीपाथर प.ह.नं. 09 प्र.क्र.45/अ-82 /19-20	0.058 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	कटरी प.ह.नं. 28 प्र.क्र.46/अ-82 /19-20	0.011 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	खंदवारा प.ह.नं. 28 प्र.क्र.47/अ-82 /19-20	0.357 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	कुदवारी प.ह.नं. 23 प्र.क्र.48/अ-82 /19-20	0.118 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	कुसेरा प.ह.नं. 10 प्र.क्र.49/अ-82 /19-20	0.062 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मड़ेरा प.ह.नं. 23 प्र.क्र.50/अ-82 /19-20	0.026 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	महनेर प.ह.नं. 22 प्र.क्र.51/अ-82 /19-20	0.151 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	परसेल प.ह.नं. 02 प्र.क्र.52/अ-82 /19-20	0.170 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पिपरिया प.ह.नं. 04 प्र.क्र.53/अ-82 /19-20	0.080 हे	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सहलावन प.ह.नं. 25 प्र.क्र.54/अ-82 /19-20	0.061 हे	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सारंगपुर प.ह.नं. 28 प्र.क्र.55/अ-82 /19-20	0.370 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सरसवाही प.ह.नं. 2 प्र.क्र.56/अ-82 /19-20	0.515 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	शिवराजपुर प.ह.नं. 10 प्र.क्र.57/अ-82 /19-20	0.081 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उदवहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	तिघरा प.ह.नं. 26 प्र.क्र.58/अ-82 /19-20	0.064 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उदवहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	टिकरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.59/अ-82 /19-20	0.325 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उदवहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	उमरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.60/अ-82 /19-20	0.378 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उदवहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना

क्र. 9965/प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

## ढीडरखेड़ा 28 जनवरी 2020

क्र. 49 / भू.अ. / 2019-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीडरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीडरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीडरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## 2. अनुसूची

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा (हे. में)		
कटनी	ढीमरखेड़ा	बांध प.ह.नं. 32 प्र.क्र. 61/अ-83 /19-20	0.177 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भैंसवाही प.ह.नं. 56 प्र.क्र.62/अ-82 /19-20	0.212 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भमका, प.ह.नं. 30 प्र.क्र.63/अ-82 /19-20	0.079 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	दिहरी प.ह.नं. 02 प्र.क्र.64/अ-82 /19-20	0.201 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	दियागढ़ प.ह.नं. 31 प्र.क्र. 65/अ-82 /19-20	0.057 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	हरई प.ह.नं. 33 प्र.क्र.66/अ-82 /19-20	0.201 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	जामुनचुवा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.67/अ-82 /19-20	0.025 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन



कटनी	ढीमरखेड़ा	जिरी प.ह.नं. 29 प्र.क्र.68/अ-82 /19-20	0.236 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	झिन्ना प.ह.नं. 31 प्र.क्र.69/अ-82 /19-20	0.274	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	केवलारी प.ह.नं. 31 प्र.क्र.70/अ-82 /19-20	0.369 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	खैरानी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.71/अ-82 /19-20	0.047 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मारसिहुडी प.ह.नं. 69 प्र.क्र.72/अ-82 /19-20	0.198 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मेर प.ह.नं. 69 प्र.क्र.73/अ-82 /19-20	0.136 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मूडीखेरा प.ह.नं. 64 प्र.क्र.74/अ-82 /19-20	0.003 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.75/अ-82 /19-20	0.048	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पहरूवा प.ह.नं. 69 प्र.क्र.76/अ-82 /19-20	0.292 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पटना प.ह.नं. 30 प्र.क्र.77/अ-82 /19-20	0.427 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	पिपरिया प.ह.नं. 31 प्र.क्र.78/अ-82 /19-20	0.311 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	रोझन प.ह.नं. 30 प्र.क्र.79/अ-82 /19-20	0.222 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सलैया प.ह.नं. 71 प्र.क्र.80/अ-82 /19-20	0.122 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.81/अ-82 /19-20	0.291 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	तिलमन प.ह.नं. 61 प्र.क्र.82/अ-82 /19-20	0.321 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बिजौरी प.ह.नं. 62 प्र.क्र.83/अ-82 /19-20	0.079 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना

क्र. 9965/प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

क्र. 49 / भू.अ. / 2019-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## 2. अनुसूची

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा (हे. में)		
कटनी	ढीमरखेड़ा	बांध प.ह.नं. 32 प्र.क्र. 61/अ-83 /19-20	0.177 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भैंसवाही प.ह.नं. 56 प्र.क्र.62/अ-82 /19-20	0.212 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	भमका , प.ह.नं. 30 प्र.क्र.63/अ-82 /19-20	0.079 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	दिहरी प.ह.नं. 02 प्र.क्र.64/अ-82 /19-20	0.201 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	दियागढ़ प.ह.नं. 31 प्र.क्र. 65/अ-82 /19-20	0.057 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	हरई प.ह.नं. 33 प्र.क्र.66/अ-82 /19-20	0.201 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	जामुनचुवा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.67/अ-82 /19-20	0.025 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	जिरी प.ह.नं. 29 प्र.क्र.68/अ-82 /19-20	0.236 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	झिन्ना प.ह.नं. 31 प्र.क्र.69/अ-82 /19-20	0.274	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	केवलारी प.ह.नं. 31 प्र.क्र.70/अ-82 /19-20	0.369 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	खैरानी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.71/अ-82 /19-20	0.047 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मारसिहुड़ी प.ह.नं. 69 प्र.क्र.72/अ-82 /19-20	0.198 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मेर प.ह.नं. 69 प्र.क्र.73/अ-82 /19-20	0.136 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मूडीखेरा प.ह.नं. 64 प्र.क्र.74/अ-82 /19-20	0.003 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.75/अ-82 /19-20	0.048	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पहरूवा प.ह.नं. 69 प्र.क्र.76/अ-82 /19-20	0.292 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	पटना प.ह.नं. 30 प्र.क्र.77/अ-82 /19-20	0.427 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

कटनी	ढीमरखेड़ा	पिपरिया प.ह.नं. 31 प्र.क्र.78/अ-82 /19-20	0.311 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	रोझन प.ह.नं. 30 प्र.क्र.79/अ-82 /19-20	0.222 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सलैया प.ह.नं. 71 प्र.क्र.80/अ-82 /19-20	0.122 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.81/अ-82 /19-20	0.291 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	तिलमन प.ह.नं. 61 प्र.क्र.82/अ-82 /19-20	0.321 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कटनी	ढीमरखेड़ा	बिजौरी प.ह.नं. 62 प्र.क्र.83/अ-82 /19-20	0.079 हे.	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर	ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना

क्र. 9965/प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 0001-19-20-अ-82-1145

श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020

1) (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **हारकुई** प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल **0.836 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **हारकुई** प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	हारकुई
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.836 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	167/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.108	हरिविलास पुत्र दौज्या जाति जाटव नि. ग्रा. 1/3 भाग, रामपति बेवा मुन्ना, विजयसिंह उदयसिंह नावा. पुत्रगण मुन्ना सर मां खुद राजश्वरी नारायणी. बिन्दा पुत्रिया मुन्ना जाति जाटव नि. ग्रा. 1/3 समान भाग पातोराम पुत्र भेरू जाति जाटव नि. जावरोल तहसील सदलगढ 1/3 समानभाग
2	168/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.182	मदन पुत्र मुरली जाति जाटव नि. ग्रा.
3	208/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.133	रतनी पुत्री फौसू जाति जाटव नि. ग्रा.

4	207/2/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.112	रतनी पुत्री फौसू जाति जाटव नि. ग्रा.
5	210/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	बनवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
6	210/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
7	235/1/3/ 1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.028	महाराज रूपसिंह पुत्रगण मिश्री बैजन्ती बेबा मिश्री समानभाग जाति रावत नि. ग्राम
8	235/3/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.010	दौजी, सीताराम, मांगी, रोशन पुत्रगण श्यामलाल, रामकटोरी, रामपति पुत्रियां श्यामलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
9	235/2/2/ 1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.006	सीताराम मांगीलाल पुत्रगण श्यामलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
10	236/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.092	सुमनदेवी पत्नि पूरनसिंह जाति ठाकुर नि. ग्रा.
11	241/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.131	चिम्मन, कुअरपाल पुत्रगण पन्ना जाति रावत नि. ग्रा.
	किता-11			0.836	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।



प्र. क्र. 0002-19-20-अ-82-1147

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **बडागांव** प.ह.क.24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल **0.017 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **बडागांव** प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 2. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	बडागांव
घ लगभग क्षेत्रफल	0.017 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-	

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	884/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	शिवचरन पुत्र गणपति जाति रावत नि ग्राम जाटौली

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
8. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0003-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम श्यारदा प.ह.क. 23 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 4.227 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम श्यारदा प.ह.क. 23 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	श्यारदा
घ. लगभग क्षेत्रफल	4.227 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्योरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	739/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.612	गीतादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम बीरपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.07
2	740	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.420	रामदास पुत्र तोफनिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम भू स्वामी भू-राजस्व 2.50
3	741/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.350	अफताब पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.18

4	758 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.040	शब्बीर पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू-राजस्व 7.50
5	763 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.159	रतनी वेवा छुट्टन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.60
6	764 / 1 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.190	किशोरी पुत्र सुकुआ जाति जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 1.90
7	764 / 2 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.061	रतनी वेवा छुट्टन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद

					रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 7.14
8	765/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी , जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 0.20
9	765/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.011	किशोरी पुत्र सुकुआ जाति जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 0.09
10	769/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.446	रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.

					भूमिस्वामी , जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 5.86
11	769/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.003	पंचमसिंह पुत्र सरगासिंह बादामी पत्नि पंचमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.02
12	792/4/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	रामजीलाल पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.12
13	792/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.067	वनवारी पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.43
14	792/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.040	रामदास पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू रा. 0.25
15	792/3/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	रामचरण पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू रा. 0.13
16	794/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.347	सुनीता पत्नि सुनील जाति वैश्य पता निवासी सबलगढ़ हि. 26/78 स.भाग भूमिस्वामी दीपक पुत्र पीतमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ़ हि. 52/310 भूमि स्वामी रामदेही पत्नि पीतमसिंह

					दीपक पुत्र पीतमसिंह लीलाबाई पत्नि लालाराम जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ़ हिस्सा 208/390 भू. स्वामी भू. रा. 1.96
17	829/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.420	बद्रीप्रसाद पुत्र भगवती जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3. 02
<b>कुल</b>	<b>17</b>			<b>4.227</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेषः—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0004-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम पांचौ प.ह.क्र. 22 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 2.380 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम पांचौ प.ह.क्र. 22 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 3. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	पांचौ
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.380 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1190/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	हरिचरण, रामचरण, शिवचरण, केदार, रामस्वरूप उमाचरण पुत्रगण रतनू जाति जाटव,प्रेम बाई पुत्री रतनू जाति जाटव पता नि. ग्राम हिस्सा समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0. 021
2	1194/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.096	पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564,मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585, राधेश्याम पुत्र

					रामचरण हिस्सा 1.150, बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70
3	1195/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.184	पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564, मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585, राधेश्याम पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150, बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.33
4	1196/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.226	पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564, मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585, राधेश्याम पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150, बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.64
5	1197/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.227	मोतीलाल, जीवनलाल पुत्र गुलाब, भगवती, रूमाली, बिमला पुत्रियां गुलाब, मु. किन्ती वेवा गुलाब हिस्सा 1/3 समान भाग, मु. कम्पूरी वेवा गनपति व राजू वा. वीरेन्द्र, जीतन्द्र ना.वा. सर.माँ खुद, गीता, सुनीता, अनीता पुत्रियां गनपत हिस्सा 1/3 समान भाग, रामहेत पुत्र ल्होरे हि. 1/3 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 1.70
6	1197/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.027	रामहेत पुत्र नकटू जाति जाटव नि.ग्राम सीखेडा भूमि स्वामी भू राजस्व 0.20
7	1200/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.387	छत्तू पुत्र सामलिया जाति जाटव नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.61
8	1112/8/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	नैनू पुत्र श्यामा व शंतो, कमला पुत्रियां श्यामा जाति जाटव नि. ग्राम भूमि स्वामी
	1211/1/2			0.189	
	2			0.252	



					भू राजस्व 0.75
9	1112/8/3/1 1112/8/3/3 1211/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.074	चिम्मन सामंता पुत्रगण पन्ना त्रिवेणी, शीला पुत्रियां पन्ना जाति जाटव नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.45
	0.573				
	3			0.199	
				0.846	
10	1211/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	बसन्ती पत्नि नैनू जाति जाटव हिस्सा 1/2, द्रोपति पत्नि गोर्बधन जाति टाकुर हिस्सा 1/2 नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.78
	<b>कुल</b>	<b>10</b>		<b>2.380</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0005-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **सीखेडा** प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल **0.328 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **सीखेडा** प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 4. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	सीखेडा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.328 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	335/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.279	परिमाल पुत्र लल्लू हि. 1/2 मु. शान्ति बेवा मांगी ब्रजमोहन, भरोषी, प्रकाश, वकील, सिट्टू, रिकू, गोरे पुत्रगण मांगी, फूलवती दुलाई, सकुन्तला पुत्रियां मांगी हि. 11/24 समान भाग क्रान्ति बेवा बनवारी देवेन्द्र रामनरेश, सुनील पुत्रगण बनवारी पिस्ता पुत्री बनवारी हि. 1/24 समान भाग जाति कुम्हार पता नि. पांचो कॉलोनी भूमिस्वामी भू राजस्व

2	336/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	मु. लाडो वेवा मोती जाति मोधिया पता नि. पांचों आरामसिंह देवलाल, हरिसिंह, प्रभू, कमलसिंह, परमजीत, रूपसिंह, हंसराज, रामदयाल वा. जगमोहन ना. पुत्रगण मोती जाति मोधिया पता नि. पांचों समान भाग भूमि स्वामी रामदवी अलबेली शान्ति, ताराबाई पुत्रियों मोती जाति मोधिया पता नि. पांचों समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व
	<b>कुल</b>	<b>02</b>		<b>0.328</b>	

- 1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासा और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- 2 नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- 3 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- 4 कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0006-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम गोहर प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 2.139 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सीखेडा प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 5. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	गोहर
घ लगभग क्षेत्रफल	2.139 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	816/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	भगवनलाल, मुन्ना, केदार, अशोक, सियाराम, गोपाल, पिस, गजा कमलाबाई कलावती पुत्रियां गजा हि. 8/10 समान भाग मु. काशी वेवा दिवारीलाल, ब्रह्म सुमेर, राधेश्याम पुत्रगण दिवारीलाल लेखा विमला, लक्ष्मी पुत्रीयां दिवारीलाल हे. 1/10 समान भाग मे. फूला वेवा छोटे सन्ताराम पुत्र छोटे साना पुत्री छोटे हि. 1/10 समान भाग जाति गूर्जर नि. बन्डपुरा जाखेर स.भा.भूरा. 0.74
2	818/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	भगवनलाल मुन्ना केदार, अशोक सियाराम गोपाल पुत्रगण गजा बगैरह वश नं. 480 वशरह न. 816

3	819/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.182	अमरू, रोशन नेकराम, पतिराम, पिस. मूला मु. गुललों वेबा मूला रामपती पुत्री मूला जाति जाटव नि. बन्डपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.17
4	820/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.151	बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि. तेलीपुरा भू आ. 2.21 भूमिस्वामी
5	821/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.238	बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि. तेलीपुरा भू आ. 2.21 भूमिस्वामी
6	822/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.175	लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत नि. तेलीपुरा भू राजस्व 1.87
7	823/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत नि. तेलीपुरा भू राजस्व 1.87
8	836/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	रमेश पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.आ.शा.न. 780/1
9	836/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	अंगद पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.आ.शा.न. 780/2
10	837/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	बनवारी, गिरधार, ब्रजमोहन पिस. लटूर व किशनबाई पुत्री लटूर हि. 1/2 स.भा. जसवंत, रोशन, गजराज पिस. अंगद हि. 3/10 समान भाग मु. नर्मदा वैवा भगवती देवेन्द्र, सुरेन्द्र, अरविन्द, उपेन्द्र, सत्येन्द्र पुत्रगण भगवती द्वारिका, मनीषा पुत्रियां भगवती हि. 1/10 समान भाग जाति रावत नि. तेलीपुरा (पाही) भूमिस्वामी कवरसिंह पुत्र ल्होरे, रामकिताबी पुत्री ल्होरे हि. 1/10 समान भाग जाति रावत पता नि. खोरियापुरा भूमिस्वामी भू.आ. 0.49

11	838/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.267	धनीराम रामलखन नरेश धर्मेन्द्र पुत्रगण टुण्डा रामहेती टुण्डा हि. 4/15 स.भा. भैरोसिंह पुत्र मुन्ना हि. 1/15 मुरारी शिवनारायण राजेश पुत्रगण किशोरीलाल किंती कमला गुडडी गीता पुत्रियां किशोरी हि. 1/3 समान भाग जाति जाटव पता नि. जाखेर भूमिस्वामी सुगन बा पिस. लोडू जाति जाटव नि. जाखेर हि. 1/3 भू. रा.3.77
12	839/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	मुकेश दिनेश, वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश, दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस, गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
13	840	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	मुकेश दिनेश, वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश, दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस, गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
14	841	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	किशोरी, रामलाल, हीरालाल प्रिंस नकटू हरेती पुत्र नकटू जाति नि. ग्राम हि.स.भा. भूमि स्वामी भू राजस्व 5. 60
15	842	शासकीय पट्टा ग्रहीता	कृषि भूमि	0.040	महेश वा. दिवारीलाल श्रीलाल गजराज रामफूल वा. पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम समान भाग भू.आ.0 0.28 शा. पट्टा ग्रहीता
16	861/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	किशोरी, रामलाल, हीरालाल, पिस, नकटू हरेती पुत्री नकटू वशरह नं. 841
17	862/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	मुकेश दिनेश, वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश, दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस, गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी

18	863/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.158	मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
19	865/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
20	866/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.085	मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
21	867/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	मेहबूद खां पुत्र छीतारिया खां जाति मुसलमान नि. रघुनाथपुर भू.आ.वि.सु. 0.97 भूमिस्वामी
22	918/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	नकटूराम पुत्र कुढेरी जाति जाटव नि. ग्राम भू.आ. 0.01 भूमिस्वामी
23	920/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	दौजी पुत्र मुरली जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 0.30
24	920/1/1	भूमिस्वागी	कृषि भूमि	0.122	भन्ता श्यामलाल पिस, मुरली, रामपती, रामेश्वरी लीला पुत्रियां मुरली जाति जाटव नि. ग्राम हि. सा.भा.भू.आ. 0.58
25	923/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	जीवन पुत्र मुल्ला जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00
26	926/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	मुगंगो वेवा बाबूलाल लालाराम वनवारी रामनिवास श्रीनिवास होरीलाल अशोक पुत्रगण बाबूलालगुडडी मीरा पु.यौं बाबूलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम हि.समान भाग स. भा.भू.रा. 0.71
	योग			2.139	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0007-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **जाखेर** प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 2.553 **हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **जाखेर** प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	जाखेर
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.553 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	323/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.10
2	324/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.20
3	325/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.129	रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.60
4	326/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	मुरारी, शिवनारायण, राजेश पुत्रगण किशोरी, किंती, कमला, गुड्डी, गीता पुत्रियां किशोरी हि. 1/2 समान भाग जाति जाटव



					निवासी ग्राम भूमिस्वामी धनीराम, रामलखन, नरेश धर्मेन्द्र पुत्रगण टुण्डा, रामहेती पुत्री टुण्डा, सुखो वेवा टुण्डा जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 235/550 समान भाग भूमिस्वामी, भैरोसिंह पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 40/550 भूमिस्वामी भूराजस्व 1.06
5	338/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.034	बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 0.25
6	339/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282	बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 2.04
7	340/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.117	बनवारी, गिरधारी, ब्रजमोहन पुत्रगण लटूर, किशनबाई, रामेश्वरी पुत्रियां लटूर जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि. 1/2 समान भाग भूमिस्वामी जसवन्तसिंह, भगवतीप्रसाद, रोशन, गजराज पुत्रगण अंगद, मुल्लो वेवा अंगद जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि 1/2 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 1.33
8	341/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.154	रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.11
9	342/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.166	महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.18
10	349/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.120	केशवसिंह पुत्र मोतीलाल जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.86
11	350/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.280	बद्री पुत्र मुरली जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि 1/4 भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन, कल्याणी वेवा सरवन, धनतूरी पुत्री सरवन जाति रावत निवासी

					तेलीपुरा हि 1/2 समान भाग भूमिस्वामी रामनाथ, प्रहलाद पुत्रगण रघुनन्दन, रामनाथी, श्रीबाई पुत्रियां रघुनन्दन, मथुरो वेवा रघुनन्दन जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 2.00
12	352/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.374	रामचरण पुत्र परिमाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम हि 30/98 भूमिस्वामी उम्मेद पुत्र इन्दर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कलावती पत्नी ल्होवा जाति गुर्जर निवासी हारकुई 49/98 समान भाग भूमिस्वामी, रमेश, महेश पुत्रगण जीवनलाल जाति गुर्जर निवासी वंडपुरा हि 19/98 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 3.60
13	353/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.061	प्रथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 0.36
14	354/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.451	नरेश, गोरे, लालाराम,भरोषी, बंटी पुत्रगण लख्मी जाति रावत रूमाली पुत्री लख्मी जाति रावत कोसा बेवा . लख्मी जाति रावत नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 2.78
15	355/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.057	रामनाथ किशोर रामदयाल विनोद पुत्रगण चिम्मन रामपती रामेश्वरी नरेशी पुत्रीयाँ चिम्मन कला बेवा चिम्मन जाति जाटव निवासी ग्राम हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी करन कुंदन पुत्रगण सामलिया छुट्टो नीवो पुत्रीयाँ सामलिया जाति जाटव निवासी ग्राम हिस्सा 4/5 समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 0.26
कुल	15			2.553	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0008-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **तेलीपुरा** प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 1.345 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **तेलीपुरा** प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

**अनुसूची**

**2. भूमि का वर्णन**

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	तेलीपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.345हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	3/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.317	जसवन्तसिंह, भगवती, रोशन, गजराज पुत्रगण अंगद जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.83

2	4/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.421	रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.51
3	5/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.341	लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 2.03
4	15/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.180	रामचरण पुत्र भौरू जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.07
5	16/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.086	लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन मु. कल्याणी वेवा लखन जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी रामनारायण, शिवनारायण बलवीर, रधुवीर ना.बा. पुत्रगण पांच्या, कलावती वेवा पांच्या, रजनी, रेशा पुत्रियां पांच्या जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.17
	<b>कुल</b>	<b>5</b>		<b>1.345</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0009-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम छावर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्यापुर में कुल 0.872 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम छावर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्यापुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

**अनुसूची**

**3. भूमि का वर्णन**

क. जिला	श्यापुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	छावर
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.872 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	142/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.317	जगमोहन पुत्र हरिविलास जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.36
2	143/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.555	मुल्ला पुत्र गया जाति रावत पता निवासी छावर भूमि स्वामी भू राजस्व 2.41
	कुल	2		0.872	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन संभावित कुटुंबों की संख्या के कारण विस्थापित होने वाले चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0010-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **श्यामपुर** प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 4.743 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम श्यामपुर प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

**अनुसूची**

**4. भूमि का वर्णन**

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	श्यामपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	4.743 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	858/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	गुडडी बेवा श्यामलाल चंचल श्रीपति हरीपाल रामलखन पुत्रगण श्यामलाल जाति मोधिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.14
2	859/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	हरिफूल पुत्र सुखदेव जाति मोधिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.06
3	915	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.040	ब्रजमोहन पुत्र शिवनारायण जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00

4	917/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.115	शंकर पुत्र छुट्टन विद्या अजुदी उर्मिला पुत्रियां छुट्टन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भू-दान कृषक भू-राजस्व 0.90
5	1288/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.173	जमुनाप्रसाद पुत्र रामगोपाल विद्या पुष्पा पुत्रियां रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 3/5 समान भाग भूमि स्वामी , सतीश पुत्र महावीर , रेखा पुत्री महावीर , हेमलता बेवा महावीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि - स्वामी संतोष कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण देवीप्रसाद लीला देवी बेवा देवीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.53
6	1290/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.068	रामेश्वरी श्यामी पुत्रीयां रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.68
7	1291/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.082	हरीनिवास रामनिवास पुत्रगण राधाचरन ममता पुत्री राधाचरण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू - राजस्व 0.46
8	1294/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.028	बंसती बेवा किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भूमि स्वामी , दुर्गा पुत्र किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी , रामनिवास पुत्र किशोरी 1/6 भाग भूमि स्वामी , गीता पुत्री किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी , रामकेश पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.22
9	1310/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	कम्पूरी बेवा सुआलाल हरीमोन द्वारिका प्रसाद पुत्रगण सुआलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 0.90
10	1312/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.081	जगदीश द्वारिका मुकेश पुत्रगण ब्रम्हानंद लीलादेवी बेवा ब्रम्हानंद समान भाग 3/4 भाग भूमि स्वामी कमला धनो पुत्रियां पुरुषोत्तम समान भाग 1/4जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भू राजस्व 0.073
11	1313/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	अमरलाल पुत्र झीगरियां हिस्सा 1/2 रामश्वरी पप्पी पुत्रियां गनपती दुलारी बेवा गनपती जाति बाडई पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी

					भू-राजस्व 0.94
12	1314/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.104	देवीलाल रामजीलाल जगमोहन स्वराज मनफूल बल्लव बंशी पुत्रगण परमा रूकमणी पुत्री परमा जाति भोड़ पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94
13	1315/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.062	रामपति पत्नी मोहरसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम 1/2 भूमि स्वामी चटुआ पुत्र गन्नु जाति वैश्य पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58
14	1374/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.064	गजानंद पुत्र कल्याण चन्द्र जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.47
15	1375/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.046	दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.40
16	1376/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.80
17	1521/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	शशिवाला बेवा महेश जाति सुनार निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.20
18	1536/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.932	शारदा पत्नी चेताराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.44
19	1536/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.902	रामदुलारी पत्नी ब्रजमोहन जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.55
20	1536/3/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.502	बृजमोहन पुत्र शिवनारायण जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.39
21	1387/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.147	रघुनन्दन पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.70
योग	21			4.743	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।



4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0011-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम बसोना प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.429 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बसोना प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 5. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	बसोना
घ लगभग क्षेत्रफल	0.429 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	57/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 0.69
2	59/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.023	गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 0.12
3	62/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 0.07

4	65/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर शासन द्वारा धर्मादा विभाग पता निवासी श्यामपुर प्रबंधक कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. भूमिस्वामी भूराजस्व 0.87
5	66	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर शासन द्वारा धर्मादा विभाग पता निवासी श्यामपुर प्रबंधक कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. भूमिस्वामी भूराजस्व 0.70
6	69/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	मु.पन्नो बाई वेवा गोपी हिस्सा 1/8 जगदीश पुत्र गोपी हिस्सा 1/8 बंदी पुत्र गोपी हि. 1/4 सावित्री, कला, रामेश्वरी, छोटी पुत्रियां गोपी समान भाग 1/2 जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भूराजस्व 0.41
योग	6			0.429	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0012-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **भैरोपुरा** प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 1.697 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **भैरोपुरा** प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 6. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	भैरोपुरा
घ लगभग क्षेत्रफल	1.697हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	137/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.012	प्रभू सुरेश पुत्रगण बंशी समान भाग 2/5 दिनेष रामसिंह विजयसिंह हक्की पुत्रगण श्यामू बर्फी, अनीता पुत्रियां श्यामू समान भाग 1/5 संतो शांति पुत्रियां बंशी समान भाग 2/5 जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.07
2	150/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.046	चरत भरत पप्पू ना.वा. पुत्रगण मेंडू सर.मॉ खुद केकई पुत्री मेंडू जाति सहरिया नि.ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू

					राजस्व 0.27
3	151/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.186	कल्ला पुत्र जगनू कल्लो बूदा पुत्रियां जगनू, सगुनी वेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 1.11
4	154/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.390	रमेश मोती पुत्रगण मलखे रामपती सोमो पुत्रियां मलखे दुल्लो वेवा मलखे जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 2.32
5	155/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.279	गोपाल पुत्र गयाजीत रामहेती वेवा गयाजीत जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 1.66
6	156/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.193	जानकी वेवा मनका देवूराम, रधुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.10
7	158/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.161	जानकी वेवा मनका देवूराम, रधुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.95
8	159/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.097	जानकी वेवा मनका देवूराम, रधुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.57
9	160/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.333	कल्ला पुत्र जगनू कल्लो बूदा पुत्रियां जगनू, सगुनी वेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 1.98
	<b>कुल</b>	<b>09</b>		<b>1.697</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0013-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **धोरीवावड़ी** प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 2.856 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम धोरीवावड़ी प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 7. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	बीरपुर
ग. ग्राम	धोरीवावड़ी
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.856 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	329/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.044	हरी, बल्लू, गंगाराम पुत्रगण चिरोंजी, गीता, उर्मिला पुत्रियां चिरोंजी जाति कहार निवासी श्यामपुर भूदान कृषक भू राजस्व 0.25
2	332/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.027	कमला वेवा किशनलाल, रामप्रसाद, हाकिम वा. सीताराम ना.वा. पुत्रगण किशनलाल, शांती, इन्द्रा वा. बिन्ना नावा. पुत्रियां किशनलाल सर.मॉ कमला खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 0.15

आयालय कलेक्टर

3	333/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.232	मंगल पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 1.39
4	335/1/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.077	गुलाव पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 0.46
5	335/2/1	भूदान कृषक ६	कृषि भूमि	0.024	सुरेश पुत्र लक्ष्मीचन्द, द्रोपती वेवा लक्ष्मीचन्द, सारदा, सुशीला पुत्रियां लक्ष्मीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 0.15
6	336/1/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.393	गुलाव पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 2.35
7	336/2/1	भूदान कृषक ६	कृषि भूमि	0.100	सुरेश पुत्र लक्ष्मीचन्द, द्रोपती वेवा लक्ष्मीचन्द, सारदा, सुशीला पुत्रियां लक्ष्मीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 0.60
8	337/1	भूदान भूमि स्वामी ६	कृषि भूमि	0.356	भगवानसिंह, रमेश, लालसिंह वकील, लख्खू पुत्रगण तोताराम, रूमाली वेवा तोताराम, अंगूरी, मीरा, संतरा सोना, मंगली पुत्रियां तोताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी कृषक भू राजस्व 2.13
9	338/1/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.129	भूलीबाई पत्नी जयसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 0.77
10	338/2/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.192	रामदयाल पुत्र जसवंत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 1.15
11	339/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.286	शांती वेवा प्रभूलाल, लक्ष्मण वा. विजयसिंह, ओमप्रकाश, नेकराम, अशोक, मुकेश नावा. पुत्रगण प्रभूलाल सर. माँ खूद बैजन्ती पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 1.71
12	340/1/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.210	शांती वेवा प्रभूलाल, लक्ष्मण वा. विजयसिंह, ओमप्रकाश, नेकराम, अशोक, मुकेश नावा.

					पुत्रगण प्रभूलाल सर. माँ खुद बैजन्ती पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 2.17
13	340/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.152	रामदयाल पुत्र गिरधारी जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.90
14	341/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.634	दाखो वेवा देवीलाल, रामसिंह लक्ष्मण नावा. पुत्रगण देवीलाल सर. माँ खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 3.80
	<b>कुल</b>	<b>14</b>		<b>2.856</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0014-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम पराष्ठा प.ह.क.11 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 2.258 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम पराष्ठा प.ह.क.11 राजस्व निरीक्षक वृत्त-002 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 8. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	पराष्ठा
घ लगभग क्षेत्रफल	2.258 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	397/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.356	चरनू पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा नि. ग्राम
2	403/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.463	मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
3	404/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.020	मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
4	405/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.014	मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति



5	410/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	रामसिंह पुत्र भौरू जाति रावत नि. ग्राम
6	411/1/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	रामसिंह पुत्र भौरू जाति रावत नि. ग्राम
7	411/2/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.186	हल्लाराम उर्फ ब्रजमोहन रामजीलाल पुत्रगण बालकिशन जाति रावत नि. ग्राम
8	411/3/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	धनीराम मुकेश गोपाल केलाश पुत्रगण हरिज्ञान लीला पीपडी केडा पुत्रियां हरिज्ञान हि 0.315 समान भा. लाली पत्नि गुरुमुख दीपू जीतू नाबा.पुत्रगण गुरुमुख मधु नाबा.पुत्री गुरुमुख सर. मां हिस्सा 0.045 स.भा. जाति बंजारा नि. ग्राम
9	418/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमे	0.091	मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
10	419	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
11	420/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर
12	421/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर
13	429/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर
14	430/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.171	मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
15	431	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
16	432/1	शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282	बतराम उर्फ देवीलाल पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
17	433/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.101	हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
18	434/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
	किता-18			2.258	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0015-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **डोंगरपुर** प.ह.न. 14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 1.678 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम डोंगरपुर प.ह.न.14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 9. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	डोंगरपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.678 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	178/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.237	चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. 3.00
2	179/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.140	चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. 2.00

3	182/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.017	केदार पुत्र सुगन जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. 0.72
4	191/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.485	नरेस मुकेश मनमोहन पुत्रगण गोपाल कमली मीरा पुत्रिया गोपाल जाति गूजर पाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 3.00
5	193/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	राजपाल सिंह पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.45
6	193/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	राजपाल सिंह पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.45
7	193/3/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.20
8	193/4/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.10
9	193/4/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	नरेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.10
10	193/5/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

					भू.राज. 0.10
11	193/6/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.028	सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
12	194/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.034	सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
13	194/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.034	सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
14	194/3/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.035	माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
15	196/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.268	जगदीश पुत्र रतन लाल जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. 1.38
16	197/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.007	अमरलाल श्रीमपति पुत्रगण बुद्धा जाति रावत निवासी जावरोज पर सबलगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भू.राज. 0.37
17	198/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.190	उम्मेद बाबू सुरेश पुत्रगण रघुनंदन जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर 3/4 भाग भूमि स्वामी लोको बेवा रामलखन मुकेस राजू

					विनोद पुत्रगण रामलखन नि. रघुनाथपुर जाति रावत 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.राज. 0.96
18	199/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.023	महेश माखन सूरज राजेन्द्र पुत्रगण फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी रामवती भगवती विद्याबाई पुत्रियां फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर रामान भाग भूगि रवागी भू.राज. 0.20
<b>कुल</b>	<b>18</b>			<b>1.678</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0016-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रघुनाथपुर प.ह.न. 14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 10.972 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रघुनाथपुर प.ह.न.14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 10. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	रघुनाथपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	10.972 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	39/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.080	भगवती प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.1.00
2	39/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.040	बाबूखां, मुंशीखां, मुन्ना खां पिता असरू खां जाति मुसलमान पता समान देह समान भाग भूमि स्वामी, रामसिंह पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम समा.देह. समान.भा. भूमि स्वामी, शारदा पत्नी कैलाश जाति तेली निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.40

3	40/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	बाबू पुत्र लच्छी जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 0.60
4	40/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	रम्मू पुत्र लच्छी जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 0.40
5	41/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.032	भन्ता पुत्र सिबू जाति कोरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 0.40
6	41/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	मु.जी.ओ. बेवा सुक्का जाति कोरी पता निवासी ग्राम कोशिल्या, कम्मोदा, छोटी द्वारिका, काशी पुत्रिया सुक्का जाति कोरी निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 0.40
7	51/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.086	बाबूलाल हरिशंकर सुरेश पुत्र गण ल्होरेराम विमला पुत्री ल्होरेराम पत्नी रामहेत बगैरहा जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 5/4 समान भाग भूमि स्वामी मु. लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गुड्डी, रूकमणी, बल्लो पुत्रिया जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम 5/1 समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 0.80
8	51/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	विमला पुत्री ल्होरे पत्नी रामहेत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जमुर्दी भूमि स्वामी भू राज. 0.20
9	52/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.090	बद्री दीवान शिक्षा समिति रघुनाथपुर अध्यक्ष बदीप्रसाद पुत्र भमरलाल जाति वैश भूमि स्वामी भू राज. 0.30
10	114/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	मांगी पुत्र गटोली हि. 1/5 सुरेश पुत्र गटोली हि. 1/5

					रामस्वरूप पुत्र गटोली हि. 1/5 रामस्वरूप पुत्र गटोली हि. 1/5 भूमिया पुत्र गटोली हि. 1/5 जाति जाटव पता विासी सुमरेरा भूमि स्वामी भू राज.0.20
11	114/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.066	देवेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0. 30
12	114/3/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	सुगन पुत्र जगनू हि. 1/6 भोरी बेवा हन्नु प्रहलाद जगदीश बनवारी मोहन पुत्रगण हन्नु मोहनबाई पुत्री हन्नु हि. 1/6 रामलख वा. महेश नाबा. पुत्रगण मन्नु रामवती गीता सुसीला कोसा बा. लीला लल्लो मीना नाबा. पुत्रिया मन्नु सुन्ती बेवा मन्नु सर.मा.हि .1/6 मुन्नी पुत्री जगनू कम्पूरी बेवा गंगाविसन फूलो पुत्री गंगाविसन बा. परसांदरराम औतार पुत्र गण गंगाविसन सर. मा. हि. 89/344 जाति पता निवासी भूमि स्वामी लालपति पुत्र हजारी जाति गूजर पता नि. ग्राम 25/344 भाग भूमि स्वामी माखन लाखन वा. हरिविलास नाबा. पुत्रगण रामलाल सर.भाई माखन जाति जाटव पता निवासी ग्राम 29/344 भाग भूमि स्वामी भवानीशंकर बाबूलाल नाबा. पुत्रगण हरीशंकर सर पिता जाति तेली पता निवासी ग्राम 28/344 भाग भूमि स्वामी भू राज.0.20
13	115/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.089	रामस्वरूप पुत्र देवीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामीर भू.राज. 0.70

स्वाध्यालय कलेक्टर



14	116/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	दाखा बाई बेवा दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज.0.80
15	119/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	हेमन्त पुत्र रामहेत लाल जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी भूराज. 0. 20
16	119/3/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	गोरीचरण पुत्र भैरालाल जाति बाहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.40
17	119/4/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	ओमप्रकाश पुत्र भैरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.40
18	120/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 2.00
19	121/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.044	रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 2.00
20	160/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.269	मु. निति प्रभा वेवा राजेन्द्र प्रसाद कृषि बिहारी उर्फ कुन्दन, अमित पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद जाति कायस्त पता निवासीशयोपुरहि31997 वर्गफुटरामजीलालपुत्र नानकाजाति राठौड़ निवासी ग्राम हीस्ता 2250 वर्गफुटगणपति पुत्र रतनलाल जाति माली हि. 1200 वर्गफुट अमरलाल पुत्र बुद्धू जाति रावत हि. 1000 वर्गफुट कैलाश पुत्र शंकरलाल राठौर हि.1800 वर्गफुट रामगोपाल पुत्र शंकर हि. 3228 वर्गफुट रघुवीर पुत्र दामोदर राठौर हि.800 वर्गफुट राजाराम लक्ष्मी शंकर पुत्र



					गण रामा कृष्णा राठौर हि. 1600 वर्गफुट ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 1.14
21	161/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	हरीशंकर, बट्टी केदार पुत्रगण रतन जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामवती, चमेली पुत्रियां रतन जाति तेली पतानिवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 1.31
22	161/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	हरीशंकर बट्टी केदार पुत्रगण रतन रामपति चमेली पुत्रीयां रतन जाति तेली भूमि स्वामी भूराज.0.78
23	165/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	बाबूलाल पुत्र बिरान विनी बेवा विशन रामनाथी धप्पो बाबूली पुत्रियां बिसन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.20
24	166/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.001	रतन पुत्र पन्नू जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भोरु, फूलचंद, रामस्वरूप पुत्रगण मोती जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/3 अ.समान भाग भूमि स्वामी सुशला पुत्री मोती नाई पता निवासी ग्राम असमान भाग भूमि स्वामी कंचन बेवा रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/335 ब. भाग भूमि स्वामी ओमप्रकाश गिर्राज बा. अशोक नाबा. सर मां पुत्रगण रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब-समान भाग भूमि स्वामी राधे, गीता, सीता पुत्रीगण रोमहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब-समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 0.10
25	187/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.247	जवारी पुत्र बिहारी जाति सुनार पता सबलगढ़ 31/2 भाग भूमि स्वामी भगवती



					प्रसाद, राधेश्याम दिलीप पि. रामस्वरूप बृम्हा गुडडी रेखा पुत्रिया रामस्वरूप जाति सुनार पता निवासी सबलग 1/2 असमा नभाग भूमि स्वामी शकुन्तला बेवा रामस्वरूप जाति सुनार पता निवासी सबलगद असमान भाग भूमि स्वामी भू राज. 2.00
26	188/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.261	गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
27	189/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.152	गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 1.00
28	191/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.140	मोती पुत्र रतन जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 0.50
29	191/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.143	कन्या बेवा बल्ला ओमप्रकास सीताराम श्रीनिवासी राजकुमार पुत्रगण बल्ला जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 0.60
30	195/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.022	मथुरो बेवा कलुआ जाति माली पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी सगुन रामदयाल पि. कलुआ जाति माली पता सा. देह भूमि स्वामी कम्मो पुत्री कलुआ जाति माली पता सा. देह समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 0.30
31	196/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.059	गनपति लाल पुत्र घीस्या जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.40
32	197/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.309	रामप्रसाद पुत्र लल्लू जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00

संयोजक कलेक्टर

33	198	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	नरेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह अरूण कुमार सिंह राकेश सिंह शैलेन्द्र सिंह पुत्रगण छोटे सिंह राजावेटी बेवा छोटे सिंह स्नहेलता पुत्री छोटेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 3.62
34	199	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.470	मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज. 2.95
35	200/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240	सुरेश पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 2.00
36	200/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.099	मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज.1.50
37	434/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.047	श्रीमती शान्ती पत्नी रामचरन लाल हि. 1/2 नरेन्द्र पुरुषोत्तम अरविन्द हि. 1/ पिता रामचरन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.60
38	435/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.074	मुरारीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.50
39	435/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.001	सुरेश चंद पुत्र लोहरे राम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 0.01
40	436/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.489	जगमोहन, हरिमोहन पुत्रगण प्रभू जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 5.00
41	440/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.190	हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बड़ाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बड़ाई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भूराज.6.00

न्यायालय कलेक्टर

42	441	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.700	घनयशम सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 4. 39
43	443	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.606	शहीदवेग पुत्र मोहम्मद हुसेन जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 6.00
44	444/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.300	हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बढाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बडई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भूरजा. बिलमुक्ता 4.00
45	445/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.079	ओमप्रकाश गोपाल पुत्रगण मदन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 0.90
46	446/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.534	कन्हैयालाल लालाराम प्रहलाद पुत्रगण भजना कम्पूरी बेवा भजना रामपती सावित्री सरवदी सरोज गोलो पुत्रिया भजना जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भग भाग भूमि स्वामी भू.राज. 3.00
47	447	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.366	महावीर प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 2.29
48	448	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	रतनी पुत्री परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी नथुआ ना.सर. किसल्ली बाबा पुत्र परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी भू. राज. 2.62
49	449	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.752	रामाकृष्णा पुत्र भोलाराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.72

50	450/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.472	मिश्रीलाल पुत्र हनुमान चंद जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 3.00
51	451/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.523	श्रीमती कमलेस कुमारी पत्नी ईस्वरी प्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 2.00
52	452	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481	महावीर पुसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सुनार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 2.62
53	453	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.637	किशोरी पुत्र मनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सामलिया पुत्र धर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भूराज. 2.00
<b>कुल</b>	<b>53</b>			<b>10.972</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0017-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रावतपुरा प.ह.क.10 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 4.354 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रावतपुरा प.ह.क.10 राजस्व निरीक्षक वृत्त-002 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 11. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	रावतपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	4.354 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	27/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.046	रोशन,लाखन,माखन मिश्री,भूपसिंह पुत्रगण पांच्या लाडो, संजो, पुत्रियां पांच्या कंपूरी बेवा पांच्या जाति जाटव नि. सुमरेश समान भाग
2	31/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	भौरया पुत्र जनिक जाति जाटव नि. सुमरेश

3	32/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.126	रघुवीरसिंह पुत्र गनपतिसिंह जाति राजपूत ठाकुर नि. ग्रा. रघुनाथपुर
4	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	रतनी बेवा गठोला भवूतिया मांगीलाल रामस्वरूप रामनारायण सुरेश सीताराम पुत्रगण गठोला जाति जाटव निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग
5	37	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	रतनी बेवा गठोला भवूतिया मांगीलाल रामस्वरूप रामनारायण सुरेश सीताराम पुत्रगण गठोला जाति जाटव निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग
6	38	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	भन्ता पुत्र भजन जाति जाटव नि. ग्राम
7	39/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.683	विद्यादेवी पत्नि बनवारीलाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर
8	40	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610	बनवारी पुत्र मांगीलाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर
9	41	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	देवेन्द्र प्रकाशचन्द्र, पुत्र सरूपचन्द्र जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर
10	43/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.165	सलीमबेग पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. रघुनाथपुर
11	44/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	बिलकेश रशीदन बानो पुत्रिया मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. ग्रा. समान भाग
12	46/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.853	फोदा पुत्र भोला जाति तेली पता नि. सुमरेरा 1/2 भाग मु. रामकोरी बेवा दामोदर जाति तेली पता नि. ग्रा. रघुनाथपुर रामकृष्ण, रघुवीर, भागीरथ पुत्रगण दामोदर जाति तेली पता नि. ग्रा. रघुनाथपुर 1/2 समान भाग
13	53/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	बल्देवसिंह, गुरुवेलसिंह, रंजीतसिंह, मलकीतसिंह, पुत्रगण करमसिंह जाति सिक्ख गुरनाम कौर बेवा करमसिंह सुरेन्द्रकौर पुत्री करमसिंह जाति सिक्ख नि. ग्रा. सुमरेरा 1/2 समान भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति जगा पता नि. सुमरेरा सम्पत पत्नि राममूर्ति जाति जगा नि. ग्रा. सुमरेरा 1/3 समान भाग गुरुबक्ससिंह पुत्र साधु जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा 1/6 भाग
14	54/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	राजेशसिंह पुत्र भीमचन्द्र जादौन जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर
15	55/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	नथुआ तेसिंह पुत्रगण सुगन जाति गुर्जर नि. रघुनाथपुर 229/1388 समान भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति नाथ नि. ग्रा. 229/1388 भाग शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 61/1388 रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत नि. ग्रा. 23/1388 भाग रूमाली बेवा रामसिंह राहुल नावा. सर मां खुद रामा रामलता पुत्रिया रामसिंह जाति रावत नि. ग्रा. 78/1388 समानभाग रामसिंह पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 78/1388 रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत नि. ग्रा. 23/1388 भाग शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 61/1388 भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति नाथ पता नि. सुमरेरा सम्पत पत्नि राममूर्ति जाति जगा पता नि. ग्रा. 116/1388 समानभाग कन्हैया पुत्र गोविन्दा, राजन्ती पुत्री गोविन्दा जाति जाटव नि. ग्रा. 44/1388 समानभाग मु. गुरनाम कौर पत्नि करमसिंह जाति



				पंजाबी नि. ग्रा. 10/1388 भाग रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 150/1388 भाग मांगीलाल लालाराम पुत्रगण सुआ जाति जाटव नि. ग्रा. 210/1388 समानभाग शिवचरन , रामलखन पुत्रगण रतन जाति रावत नि. ग्रा. 24/1388 समानभाग अनीतादेवी पत्नि दीनदयाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर 28/1388 भाग वृजमोहन पुत्र रामहेत जाति रावत नि. रघुनाथपुर 42/1388 भाग कृष्णलाल पुत्र चिम्मनलाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर 85/1388 भाग ममता पत्नि फूलसिंह जाति गुर्जर नि. रघुनाथपुर 70/1388 भाग रामचरन पुत्र सुआ जाति जाटव नि. रघुनाथपुर 102/1388 भाग रघुवीर पुत्र मदन जाति रावत नि. रघुनाथपुर 16/1388 भाग
	किता- 15		4.354	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0018-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम सुमरेरा प.ह.क. 09 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 10.490 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सुमरेरा प.ह.क. 09 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1.भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	सुमरेरा
घ लगभग क्षेत्रफल	10.490 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

सक्र	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेख अनुसार
1	224/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.111	भोरया रामनाथ सीताराम रामचरण पुत्रगण जनका सामन्ती भोरी पुत्रिया जनका मु मूलो बेवा जनका जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
2	225/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.147	कम्मोदा पत्नी भंता जाति जाटव निवासी ग्राम
3	411/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम

4	411/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम
5	412	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम
6	413/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम
7	413/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम
8	418/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
9	419	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
10	420/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
11	424/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	हरेत पुत्र अंगद जाति रावत निवासी ग्राम
12	425/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	गुरुनाम कौर बेवा करमसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम
13	426/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	हरेत पुत्र अंगद जाति रावत निवासी ग्राम

14	430	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648	होरीलाल छोटे भबूतिया पुत्रगण विशन हिस्सा 3/4 समान भाग रामश्री बेवा पांच्या मुकेश बा हल्के नाबा पुत्रगण पांच्या खुहो पुत्री पांच्या सर मा हिस्सा 1/4 जाति जाटव निवासी ग्राम
15	431/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.389	हरेत रामदयाल पप्पू पुत्रगण जगनू भट्टरी हाबो गुडडी उर्फ दवारिका पुत्रिया जगनू जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
16	431/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.658	कम्पूरी बेवा हाबूल्या रामकुमार नरेश गणेश सुरेश दिनेश हरीसिंह पुत्रगण हाबूल्या मुकेशी भूरो पुत्रिया हाबूल्या जाति रावत समान भाग निवासी ग्राम
17	433/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	कोकसिंह पुत्र रमेश सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम
18	434/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम
19	434/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
20	437/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम
21	437/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
22	438/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.000	रामचरण रामदयाल पि बल्लू कमला गीता पुत्रिया बल्लू हिस्सा 1/7 समान भाग मन्नू शिवनारायण पि जगनू नाथी बेवा जगनू हिस्सा 1/7 समान भाग मदन झींगुरिया छुट्टु पि सुन्दर पांची पुत्री सुंदर हिस्सा 4/7 समान भाग गीता बेवा हाबूल्या

					दिवारी लाल नाबा बनवारी बा पुत्र हाबुल्या रानी नाबा पुत्री हाबुल्या सर मा खुद भट्टली हिस्सा 1/14 समान भाग सुगनी बेवा किशोरी सुरेश पुत्र किशोरी हिस्सा 1/14 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
23	439/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.454	फोसी केवल बाबू रामस्वरूप पुत्रगण सामलिया हिस्सा 4/5 समान भाग सुकी बेवा देवीलाल हिस्सा 1/5 जति जाटव निवासी ग्राम
24	440/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	भोरया पुत्र जनक्या जाति जाटव निवासी ग्राम
25	442/1/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.138	गुल्ला पुत्र धनीराम सोमोती कम्मोदा पुत्रिया धनीराम जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम
26	442/1/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	रामजीलाल भूरा बल्लू मुकेश पुत्रगण रामहेत हिस्सा 1/2 समान भाग सामंती पुत्री धनीराम हिस्सा 1/2 जाति जाटव निवासी ग्राम
27	454	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम
28	455/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम
29	457/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.191	हरनारायण पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम
30	460	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	रामभरोषी पुत्र प्रभू जाति रावत निवासी ग्राम
31	463	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.224	रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी ग्राम
32	464/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी ग्राम

33	465/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.184	रमेश पुत्र बुद्धू जाति रावत निवासी ग्राम
34	466/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.046	रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी ग्राम
35	592/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.359	बाबूलाल पुत्र रतन जाति रावत निवासी ग्राम
36	592/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	सुशीला देवी बेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्रसिंह जयेन्द्रसिंह पुत्रगण महेश सिंह प्रीती पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोबरन सिंह हिस्सा 2/6 उदेश सिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोबरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर
37	593/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.426	सुशीला देवी बेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्रसिंह जयेन्द्रसिंह पुत्रगण महेश सिंह प्रीती पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोबरन सिंह हिस्सा 2/6 उदेश सिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोबरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर
38	601/1/1	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	दिवारीलाल पुत्र हरगोविंद जाति रावत निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
39	601/2/1	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.072	रामनरेश पुत्र रामनारायण जाति रावत निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
40	612/1/1/1	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से

					भूमिस्वामी
41	612/1/2/1	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
42	614/1/1	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.286	जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
43	591/1010/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	रमेश पुत्र बुद्धू जाति रावत निवासी ग्राम
44	435/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.355	मु किंचन बेवा सुगन रामलखन जगमोहन रामनरायण पुत्रगण सुगन छोटी कारी पुत्रिया सुगन हि 6/7 समान भाग सीमा नाबा पुत्री दल्लू सूआबाई बेवा दल्लू सर मो हि 1/7 समान भाग निवासी ग्राम
45	436/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.387	हरेत पुत्र रतनलाल मुन्दो बाई पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम
46	602/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.246	गुलकंदी बेवा रामस्वरूप रामकेश भूपेंद्र पुत्रगण रामस्वरूपमीरा मुकेशी बरफी सेजो सरोज विनाद पुत्रिया रामस्वरूप जाति रावत निवासी ग्राम
47	603/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.189	शांती बेवा बट्टी बीरेन्द्र पुत्र बट्टी प्रेम मीरा सरूपी कल्लो नैना पुत्रिया बट्टी जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग
48	610/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.577	शांती बेवा बट्टी बीरेन्द्र पुत्र बट्टी प्रेम मीरा सरूपी कल्लो नैना पुत्रिया बट्टी जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग
49	611/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.013	रामस्वरूप मुन्ना सूआलाल रामलखन पुत्रगण भौरैया रूमाली फूस्यो पुत्रिया भौरैया जाति सहर निवासी ग्राम

50	639/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.395	कुलदीप पुत्र दारासिंह जाति पंजाबी निवासी ग्राम
51	643/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	परमजीत कौर बेवा प्रेमसिंह हरपाल ना बा पुत्र प्रेमसिंह कमलजीत ना बा पुत्री प्रेमसिंह सर मा खुद जाति सिक्ख निवासी ग्राम
52	643/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.107	हरजेन्द्र पुत्र गुरुवक्श सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम
53	643/3/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.081	रामसेवक पुत्र नाथूराम जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार
योग	53			10.490	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जाच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।



प्र. क्र. 0019-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **महुआमार** प.ह.क .05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसीरल-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल **10.435 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **महुआमार** प.ह.क. 05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 12. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	महुआमार
घ लगभग क्षेत्रफल	10.435 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	2/1/1	भूदान कषक	कृषि भूमि	0.196	केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली
2	2/1/3	भूदान कषक	कृषि भूमि	0.973	केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली
3	3/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.227	केशरी वेवा भरतु कप्तान जगदीश हीरा पुत्रगण भरतु जाति बंजारा नि. ग्रा. 4/5 समान भाग शीला वेवा बाबूलाल सीताराम ना. वा. पुत्र बाबूलाल मिथलेश नीतू ना. वा. पुत्रियां बाबूलाल सर. माँ जाति बंजारा हि. 1/5 समान भाग
4	3/3/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.679	जनवेद श्रीनिवास प्रीतम पुत्रगण रामकिशोर जाति रावत नि.ग्रा.
5	3/4/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.233	कल्लू वंशी भागीरथ मंगलदास मनोरी पुत्रगण चंदन दास जाति ओड नि.ग्रा.
6	3/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	श्रीनिवास पुत्र भगवानलाल जाति ब्राम्हण

7	5/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.328	बबूलाल पुत्र किशोरीलाल जाति वैश्य नि. ग्रा.
8	5/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.329	रामचरन पुत्र हरदेव जाति बंजारा नि. ग्रा.
9	6/3/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.142	कमल सिंह पुत्र रतन सिंह जाति बंजारा नि. ग्रा.
10	8/2	भूदान	कृषि भूमि	0.025	हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
11	9/1/2	भूदान	कृषि भूमि	0.506	हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
12	10	भूदान	कृषि भूमि	0.502	हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
13	11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.408	किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परुषोत्तम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
14	12	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परुषोत्तम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
15	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648	किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परुषोत्तम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
16	14/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परुषोत्तम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परुषोत्तम सर. मों मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
17	15/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.048	रतन सिंह रोशनलाल प्रीतम गजिया काशी वा. घनिया मुन्ना पप्पू रामचरन ना. वा. पुत्रगण प्राग सर. मों लाडो लाडो सूआ वेवा प्राग किन्ती रतनी पुत्रिया प्राग नि. ग्रा. समान भाग
18	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.794	शुशीला पत्नि श्रीनिवास जाति ब्राम्हण नि. टरकलौ
19	17/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा नि. ग्रा.
20	18/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.376	मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा नि. ग्रा.
21	18/1/2	भूदान	कृषि भूमि	0.627	हीरा पुत्र काशीराम जाति बंजारा नि. ग्रा.
22	18/1/3	भूदान	कृषि भूमि	1.296	कन्हैया पुत्र बुद्धा व जनको वेवा बुद्धा जाति माली नि.ग्रा.

23	19/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.627	जयराम पुत्र किशनलाल जाति बंजारा नि. ग्रा.
24	19/1/2	भूदान	कृषि भूमि	0.627	गोविदा पुत्र भरोलाल जाति माली नि. टर्कलौ
25	21/1/2	भूदान	कृषि भूमि	0.014	पुष्पा वेवा रामदयाल रघुवीर रमवरन रामलखन सुग्रीव पुत्रगण रामदयाल मिथलेश पुत्री रामदयाल जाति बंजारा पता नि. ग्रा.
26	23/3	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.052	बाबू पुत्र शोभा मेवा पुत्री शोभा जाति बंजारा नि. ग्रा.
27	23/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	सुखराम माखन अशोक पुत्रगण खुमान व कला वन्तो रामपति बादामी कल्लो पुत्रीयां खुमान परवा वेवा खुमान जाति बंजारा नि. ग्रा.
कुल	27			10.435	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0020-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम टर्काकलौ प.ह.क.05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसीरल-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 6.172 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम टर्काकलौ प.ह.क. 05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 13. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	टर्काकलौ
घ. लगभग क्षेत्रफल	6.172 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	27/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.030	बंशीधर पुत्र रतन जाति सहर नि.गा.
2	27/7/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	अशोक पुत्र छोटेलाल जाति कोली
3	35/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	राजाधर श्रीधर मुन्ना पुत्रगण विहारी जाति रावत नि.गा. समान भाग
4	37/1/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.046	लीलावती वेवा ब्रजमोहन जाति रावत नि.गा.
5	37/4/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.277	हरी सिंह पुत्र रामजीत हाबुली कौशलया पुत्री रामजीत जाति रावत नि.गा.

6	43/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.060	कल्लू पुत्र चिम्मन जाति रावत नि.गा.
7	43/3	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.060	काशी पुत्र प्राग जाति बंजारा नि. ग्रा.
8	43/5	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.060	जगन्नाथ पुत्र रामगोपाल जाति रावत नि.ग्रा.
9	43/7	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.060	उमाशंकर पुत्र काशीराम जाति नाथ नि.ग्रा.
10	43/9	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.122	कमला देवा रामजीलाल सुनील ना.वा. पुत्र रामजीलाल ब्रजलता ना. वा. पुत्री रामजीलाल सर. मों कमला जाति रावत नि. ग्रा.
11	55/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	श्यामो देवा भवन्था भैरोलाल किशनलाल पुत्रगण भवन्था जाति जाट्य नि. मोरेका
12	56/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.272	मुन्नी पुत्री जयलाल नि. भूरेडी धप्पो पुत्री नि. टराखुर्द हि. 2/3 समान हभाग राममूर्ति देवा हरिविलास राकेश डीडी कुमार पुत्रगण हरिविलास राहुल पुत्र हरिविलास जाति रावत हि. 1/3 समान भाग नि. ग्रा.
13	69/4/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	अंगद पुत्र विशना कोरी नाथी नीमो पार्वती रामो पुत्रीयां विशना जाति सहर नि. ग्रा.
14	84/7/1/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.186	गोविन्दा पुत्र भैरोलाला भरोषी पुत्र भैरोलाल जाति माली समान भाग
15	84/6/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.840	देवीप्रसाद माधोप्रसाद श्रीगणेश नरेश रामकेश पुत्रगण फूलचंद प्रकाशी भूरो पुत्रीयां फूलचंद जाति रावत नि. ग्रा.
16	86/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	किशोरी पुत्र हंसी जाति रावत नि. ग्रा
17	105/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	रामप्रसाद पुत्र वलबंत जाति रावत नि. ग्रा. 1/3 परसादी रामप्यारी पुत्रीयां वलबंत जाति रावत नि. ग्रा. हि. 2/3
18	108/1/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	भगवान लाल पुत्र गिरधारी लाल कौशलया पुत्री गिरधारी लाल जाति रावत नि.ग्रा.
19	110/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	भगवानलाल पुत्र गिरधारीलाल कौशलया पुत्री गिरधारीलाल जाति रावत नि.ग्रा.
20	130/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	राममूर्ति देवा हरिविलास राकेश डीडी कुमार पुत्रगण हरिविलास राहुल पुत्र हरिविलास भूरी धापी कमलेश संतोष पुत्री पुत्रीयां हरिविलास हि. 1/3 समान भाग मुन्नी पुत्री जयलाल नि. भूरेडी धप्पो पुत्री जयलाल नि. टराखुर्द जाति
21	135/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.524	रामनिवासी देवा रामकिशोर जगदीश प्रकाश हरिओम मनोज पुत्रगण रामकिशोर रचना मौसम गायत्री गुडडी पुत्रीयां रामकिशोर जाति ब्राह्मण हि. नि. ग्राम समान भाग

22	140/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	भगवनलाल पुत्र गिरधारी लाल कौशल्या पुत्री गिरधारी लाल नि. ग्रा.जाति रावत
23	141/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.179	पूरन पुत्र लाल हंस जाति रावत नि.ग्रा.
24	145/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	ब्रजकिशोर सुरेश पुत्रगण ब्रम्हानन्द जाति ब्राम्हण नि. ग्रा.
25	146/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत नि. ग्रा.
26	147/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.054	कल्लो बाई वेवा हरिप्रसाद हेमराज राममरत पुत्रगण हरिप्रसाद जाति रावत नि.ग्रा. समान भाग
27	148/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	शिवचरन पुत्र बट्टी जाति रावत रामलखन पुत्र शिवचरन 1/7 भाग कमला पत्नि रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल 1/7 भाग अघ्योया सखीपी सोमोती दुआरिका गुडडी पुत्रीयां शिवचरन जाति रावत 5/7 सामान भाग नि. ग्रा.
28	149	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामलखन पुत्र शिवचरन हि. 1/7 भाग कमला पत्नि रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल 1/7 भाग अघ्योया सखीपी सोमोती दुआरिका गुडडी पुत्रीयां शिवचरन जाति रावत 5/7 सामान भाग नि. ग्रा.
29	159/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत नि. ग्रा. समान भाग
30	160/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.115	रामनिवासी वेवा रामकिशोर जगदीश प्रकाश हरिओम मनोज पुत्रगण रामकिशोर मौसम गायत्री गुडडो रचना जाति ब्राम्हण समान भाग नि.ग्रा.
31	161/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.348	हरी सिंह पुत्र रामजीत हाबुली कौशल्या पुत्रीयां रामजीत जाति रावत नि. ग्रा. समान भाग
32	162/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.233	लक्ष्मीनारायण ब्रजमोहन चिरोजी वंशी कैलाश गोविंद गौतम कृष्णगोपाल पुत्रगण बट्टीप्रसाद जाति ब्राम्हण नि. ग्रा.
33	163/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	कलावती वेवा ओमप्रकाश सूरज पुत्र ओमप्रकाश भूरो बंटी . मनीषा पुत्रियां ओमप्रकाश हि.1/16 नि.ग्रा. मूली पुत्री जगनू पत्नि मदन नि. ढोढर हि. 1/6 भाग लालचंद काशीराम पुत्रगण मंगल कौशल्या रूकमणी ना.वा. सर लालचंद कमला पुत्री जगन पत्नि शिवचरन हि. 1/8 नि. बरोली फूलचंद उमाशकर पुत्रगण कलावती लक्ष्मी धप्यो सोमोती महेश्वरी पुत्रियां विशन हि. 7/16 नि. ग्रा.
34	168/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	पूरन पुत्र लाल हंस जाति रावत नि. गा.
35	346/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.573	सुरजन पुत्र ल्होरिया जाति सहर नि. ग्रा.
36	346/2/1	भूदान	कृषि भूमि	0.105	भरोषी पुत्र सरवन जाति सहर नि. ग्रा.

मध्यप्रदेश कलेक्टर

37	346/3/1	भूदान	कृषि भूमि	0.105	रामनाथ पुत्र राधे जाति सहर नि. ग्रा.
38	346/4/1	भूदान	कृषि भूमि	0.105	जीवन पुत्र गुल्ली जाति सहर नि. ग्रा.
39	346/5/1	भूदान	कृषि भूमि	0.125	कैलाश पुत्र घमंडी काशी ओमवती पुत्रियां घमंडी सर. कैलाश भाई जाति सहर नि. ग्रा.
40	373/3/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.013	गुल्ला पुत्र किशनली जाति सहर नि. ग्रा.
41	387/1	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.306	लालाराम पुत्र परमा हि. 1/2 लड्डू पुत्र मुन्दा भगोती पुत्री मुन्दा भजन जाति सहर नि.ग्रा.
42	387/3	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.157	नाथ्या हल्के पुत्रगण खरंजा लोदरी वेवा खरंजा जाति सहर नि. ग्रा.
कुल	42			6.172	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0021-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम टर्खाखुर्द प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.128 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम टर्खाखुर्द प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 17. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	टर्खाखुर्द
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.128 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	713/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.016	पून्या पुत्र धूरिया राजो पुत्री धूरिया ना.वा. सर. दुर्जन काका जाति सहर पता निवासी ग्राम भूदान कृषक भू. रा. 0.05
2	716/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.045	पून्या पुत्र धूरिया राजो पुत्री धूरिया ना.वा. सर. दुर्जन काका जाति सहर पता निवासी ग्राम भूदान कृषक भू. रा. 0.21
3	760/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.067	धीरज, भीकम पुत्रगण फूलचंद गीता, द्वारिका पुत्रियां फूलचंद जाति रावत पता निवासी ग्राम स.भा. भूदान कृषक भू. रा. 0.76
कुल	3			0.128	



1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0022-19-20-अ-82

**(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)**

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम **बलावनी** प.ह.क. 02 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल **5.536 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **बलावनी** प.ह.क. 02 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 14. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	बलावनी
घ. लगभग क्षेत्रफल	5.536 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	371/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.598	फूलचन्द रामकरन पुत्रगण गोपी सुवेदी पुत्री गोपी नाबा. मु. चतुरी बेबा गोपी जाति सहर पता नि ग्राम
2	374/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	रस्ती पुत्र जमुना जाति सहर नि ग्राम

3	374/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	देवीलाल पुत्र शिवलाल जाति सहर नि ग्राम
4	374/3/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.329	गनपति पुत्र हरिचन्द जाति सहर नि ग्राम
5	404/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.628	नारायण पुत्र मदन जाति सहर नि ग्राम
6	404/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.628	प्रकाश पुत्र आनन्दा जाति सहर नि ग्राम
7	404/3/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.628	प्रकाश पुत्र आनन्दा रमेशी रेशमा वेशकी सीलो पुत्रियां आनन्दा जाति सहर नि ग्राम हि समान भाग
8	405/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.045	बाबू पुत्र मदन जाति सहर नि ग्राम
9	405/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.020	बद्री पुत्र सिरिया जाति सहर नि ग्राम
	किता-09			5.536	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0023-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम चांदपुरा प.ह.क. 04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्यापुर में कुल 0.202 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम चांदपुरा प.ह.क. 04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्यापुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

## 15. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्यापुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	चांदपुरा
घ लगभग क्षेत्रफल	0.202 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	250/1/1	भूदान	कृषि भूमि	0.130	नाथ्या पप्पू पुत्रगण किशोरी हि. 1/2 स.भा प्रेम रामपति रामनाथी नाबा. पुत्रियां किशोरी सर मां कस्तूरी बेबा किशोरी हि 1/2 स. भा अंगद पुत्र बालकिशन जाति सहर नि.ग्राम हिस्सा 1/2
2	253/1	भूदान	कृषि भूमि	0.069	सुरेश श्रीपाल रकजाराम राधेश्याम पुत्रगण गुलाब सर गजरी मां हि 1/5 उमलेखा मारूती पुत्रियां भेशा हि 1/5 समानभाग भज्जी रामकुमार पुत्रगण किशन पाना पुत्री किशन हि 3/5 स.भा. जाति सहर नि. ग्राम
3	255/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	जनका पुत्र भंवरिया जाति सहर नि. ग्राम
कुल	03			0.202	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0024-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम हांसिलपुर खुर्द प.ह.क.04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 1.693 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम हांसिलपुर खुर्द प.ह.क.04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 16. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	वीरपुर
ग. ग्राम	हांसिलपुर खुर्द
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.693 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	137/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.012	कोशलया पुत्री राधे जाति कुम्हार नि. ग्राम
2	138/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.325	धर्मोबाई पत्ति ग्यारसा घनश्याम गणेश लक्ष्मीनारायण प्रेमनारायण दिलीप पुत्रगण ग्यारसा प्यारदा लीला पुष्पा कल्पना पुत्रियां ग्यारसा स.भा. जाति कुम्हार नि ग्राम
3	142/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.215	जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रुकमणी सुनीता रेखा चन्द्रकला द्वारिका पुत्रियां

राजस्व कलेक्टर

					रामप्रसाद हि 1/2 स.भा. जाति कुम्हार नि ग्राम गिराज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो बेबा मानिक हि ) स.भा. जाति कुम्हार नि. ग्राम
4	143/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.186	जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रुकमणी सुनीता रेखा चन्द्रकला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि 1/2 स.भा. जाति कुम्हार नि ग्राम गिराज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो बेबा मानिक हि ) स.भा. जाति कुम्हार नि. ग्राम
5	157/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.088	रतन भजन पुत्रगण चुन्नी लता पुत्री चुन्नी मु. लाडो बेबा चुन्नी जाति सहर नि ग्राम चांदूपुरा हि सभा.
6	158/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.041	कौशल्य पुत्री राधे जाति कुम्हार नि. ग्राम
7	160/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.472	दौज्या देवा ओंकार रामसुखा पुत्रगण झन्डू जाति सहर नि ग्राम हि समानभाग
8	163/1	षासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.065	गोपाल पुत्र सुखदे जाति सहर नि ग्राम हि. 1/2 कुढेरी कन्नू घासी पुत्रगण मल्लू जाति सहर नि ग्राम हि 1/2 क समानभाग मु. भन्ती पत्नि रामहेत जाति सहर नि बलावनी क समानभाग मूला बेबा मल्लू जाति सहर नि ग्राम क समानभाग
9	170/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.289	मुन्ना पुत्र धूरिया छाया ष्णान्ती बूदा पुत्रियां धूरिया मु. नारायणी बेबा धूरिया जाति सहर नि ग्राम
	किता-9			1.693	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0025-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम हासिलपुर प.ह.क. 03. राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 4.900 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम हासिलपुर प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर

ग. ग्राम

हासिलपुर

घ लगभग क्षेत्रफल

4.900 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	106/4/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	रामसिंह लक्ष्मीनारायण पुत्रगण भगवानलाल जाति मीना पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
2	106/6/10/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	रामचरण हरी पुत्रगण छोटू जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
3	124/3/2/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	रामचरण पुत्र मुरली जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
4	124/3/8/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रीना नावा. पुत्री रामप्रसाद सर. मौसी सरूपी जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
5	126/1/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	दाखा पुत्री रतन जाति मीना पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
6	202/1/2/	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.124	महेन्द्र शशांक विनोद पुत्रगण कैलाश नारायण, मु. विमला बेवा कैलाश नारायण जाति ब्राम्हण नि. ढोढर समान भाग भूमिस्वामी
7	202/1/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	शिवशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम ढोढर भूमिस्वामी
8	208/1/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	महेन्द्र शशांक विनोद पुत्रगण कैलाश नारायण जाति ब्राम्हण नि. ढोढर समान भाग भूमिस्वामी
9	208/1/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	शिवशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम ढोढर भूमिस्वामी
10	224/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.079	भंवरलाल बद्रीप्रसाद पुत्रगण भैरूलाल जानकी बेवा भैरूलाल, शांति पुत्री भैरूलाल जाति माली नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
11	226/1/1/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.726	मदनमोहन रघुवीर मुकेश गोपाल पुत्रगण लक्ष्मी हिस्सा 1/2 बादाम सम्पत गिलासी रेखा मौसमी बाइसा पुत्रीया लक्ष्मी करतुरी बेवा लक्ष्मी हिस्सा 1/2 जाति माली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
12	226/1/2/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.727	रामनारायण पुत्र बजारी जाति माली नि.ग्राम भूमिस्वामी

13	226/1/1/2	शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	रामदयाल रमेश पुत्रगण रामगोपाल जाति मीना पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
14	228/1/1 228/1/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.003 0.049	मदनी बेवा श्रीहरी जाति माली पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
15	228/2 228/4 228/6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481	मोतीलाल पुत्र हीरीया जाति मीना पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	494/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.254	गंगाबाई पत्नी किशनलाल जाति माली पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
17	510/1/2/2	शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.696	शान्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति माली नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
	कुल	17		4.900	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।



प्र. क्र. 0026-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम नसीरपुरा प.ह.क. 06 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 1.312 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम नसीरपुरा प.ह.क. 06 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	नसीरपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.312 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	183	शा.प. से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.314	लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर पता नि. ग्राम
2	184/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	छोटूलाल दत्तक पुत्र सोन्या जाति गुर्जर नि. ग्राम फूलदा
3	186/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.093	कमलेश, छोटे पुत्रगण पन्नू रमेशी बर्फी पुत्रीयां पन्नू रामनाथी वेवा पन्नू जाति सहर नि. ग्राम समान भाग
4	187/1 188	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.072 0.094	लक्ष्मीनारायण पुत्र सोन्या धप्पो पुत्री सोन्या जाति

	किता-2			0.166	गुर्जर निवासी ग्राम समान भाग
5	189/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	रमशु चरणा पुत्रगण इन्द्रा शांति हल्की पुत्रीयां इन्द्रा मोत्या वेवा इन्द्रा हि 5/12 समान भाग कला वेवा घनश्याम सूरज पुत्र घनश्याम दीपा रमा पुत्रीयां घनश्याम हि 1/12 समान भाग दौजी वेवा हजारी रामोतार पुत्र हजारी लीला पुत्री हजारी हि 1/12 समान भाग जाति सहर पता नि ग्राम
6	253/3/1	शास.पट्टे से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	रामपति पत्नी सनवेद सिंह जाति ठाकुर नि. ग्राम
	कुल	7		1.312	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0027-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम फूलदा प.ह.क. 7 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्यापुर उपखण्ड-श्यापुर जिला-श्यापुर मे कुल 11.975 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फूलदा प. ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्यापुर उपखण्ड-श्यापुर जिला-श्यापुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्यापुर
ख. तहसील	श्यापुर
ग. ग्राम	फूलदा
घ लगभग क्षेत्रफल	11.975 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	64	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.900	कल्लू पुत्र ल्होरे हि 1/5 रामचरण पुत्र सोन्या बिल्लो रामपती गणेशी पुत्रीयां सोन्या ग्यारसी वेवा सोन्या हि 1/5 समान भाग मुरली रामू लाल रामवीर पुत्रगण रामहेत चेती वेवा रामहेत हि 1/5 कैलाश सोराम रज्जू पुत्रगण मोती शांति वेवा मोती हि 1/5 समान भाग बैदजी वेवा भूरिया गोवर्धन पुत्र भंवरया हि 1/5 समान भाग महावीर

					बा० विनोद नाबा० पुत्रगण श्योजी हि 1/5सर० भाई महावीर समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम भूमिस्वा
2	65/1 66/1 69/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.312 0.014 0.258	सग्गू गुलाम पुत्रगण चंदे तुल्सा कवरी गोस्वामी पुत्रीयां चंदे हि 5/9.
	किता -3			0.584	काडू मुनेषया पुत्रगण मूला फातुरी कल्ली गुज्जा पुत्रीयां मूला नूरी वेवा मूला हि 1/9 समान भाग कैलाश प्रभू कमलेश विधया कश्मीर पुत्रगण नंदू कैलाशी कमला पुत्रीयां नंदू फग्नी वेवा नंदू हि 1/9 समान भाग सीताराम रामनाथ मनीराम ओमप्रकाश घनश्याम पुत्रगण भदई प्रेम पुत्री भदई हि 6/63 समान भाग रामपती वेवा रामदास लक्ष्मीनारायण बा० रामवीर श्रीराम नाबा० पुत्रगण रामदास कारी बा० रामधोरा नाबा० पुत्रीयां रामदास सर० मां रामपती हि 1/63 समान भाग दौज्या पुत्र सुगन कांती पप्पी पुत्रीयां सुगन अरजो वेवा सुगन हि 1/9 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम
3	70 151/2 152/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.130 0.338 0.715	बद्री पुत्र रतन हि 3/10 आशिक श्योपुरु रामपत कलेश पुत्रगण देवकिशन कौशलया रम्पो छोटी कलेशी पुत्रीयां देवकिशन शांति वेवा देव किशन जाति सहर हि 3/10 समान भाग इसो पुत्री रतन हिस्सा 1/5 काडू बा० मुरारी बाबू नाबा० पुत्रगण मनोहर सर० मा कल्ली मु. कल्ली वेवा मनोहर जाति सहर नि० ग्राम हि 1/5 समान भाग भूमिस्वामी
	किता -3			2.183	
4	71/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.171	मुन्ना पुत्र भागा हि 1/3 रामकुमार प्रहलाद सीताराम पुत्रगण इन्दर हि 1/3

					समान भाग गज्जू कल्लू पुत्रगण बंशी गुला बाई वेवा बंशी हि 1/3 जाति सहर निवासी ग्राम
5	79/2 80/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.873 0.284	फगू मोहन दुल्ली पुत्रगण जगन मुन्नी, सन्नी पुत्रीयां जगन हि 5/18 समान भाग कल्याणी वेवा बाबू प्रमोद राजाराम पुत्रगण बाबू छोटी धोडा पुत्रीयां बाबू हि 1/18 समान भाग कोरी निब्बो पुत्रीयां हरिया हि 2/3 समान भाग जाति सहर नि ग्राम भूमिस्
	किता -2			1.157	
6	81/1 82 83/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.304 0.810 0.113	परसु पुत्र हरदेवा रामकंवरी रामी पुत्रीयां हरदेवा जाति सहर नि. ग्राम भूमिस्वामी
	किता -3			1.227	
7	89/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.238	जगू रामजीलाल रामकल्याण पुत्रगण मांग्या शांति वेवा मांग्या हि 4/5 समान भाग महावीर रामलखन दिनेश बा0 अनेज नाबा पुत्रगण सुरेश रामलेखा बा0 रेशमा नाबा पुत्रीयां सुरेश सर0 मा खुद रामश्री रामश्री वेवा सुरेश हि 1/5 समान भाग जाति सहर नि0 ग्राम भूमिस्वामी
8	156/2 158 159/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.352 0.620 0.462	कैलाश प्रेमचंद विजय सिंह पुत्रगण बद्री रामपति सम्पोबाई मौसमी बाई पुत्रीयां बद्री लडो बेवा बद्री जाति गुजर नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	किता -3			1.434	
9	157	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.470	भवानीशंकर बृज बिहारी विष्णुशंकर महेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रामनिवास प्रेमबाई सुशीला रूकमणी गायत्री निर्मला पुत्रीयां रामनिवास हि 1/3 रामकन्या रामकल्याणी पुत्रीयां जानकीलाल जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

10	170/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.517	रामलखन पुत्र किशनलाल हि 1/2 रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/2 समान भाग जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
11	171	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.730	रामसिंह पुत्र रतन हि 1/2 सुमेर सिंह रोशन सिंह धर्म सिंह पुत्रगण प्रहलाद रामाबाई पुत्री प्रहलाद जगन्नाथी वेवा प्रहलाद जाति गुर्जर नि० ग्राम हि 1/2 समान भाग भूमिस्वामी
12	172	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.690	हरी सिंह हरगोविन्द पुत्रगण मोती गोविन्दी गुलाब शांति पुत्रीयां मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
13	173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.770	हरनारायण पुत्र सूरजन हि 1/2 सम्पोबाई पुत्री रामनारायण हि 1/2 जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
14	174/1 176/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.222 0.187	रामलखन पुत्र किशनलाल रामकन्या रूपो विमला पुत्रीयां किशनलाल हि 4/5 समान भाग रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/5 समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	किता -2			0.409	
	किता-24			11.975	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित संस्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  - नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  - उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  - कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0028-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम गोठरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 3.200 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम गोठरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	गोठरा
घ लगभग क्षेत्रफल	3.200 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	728	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.480	नरेश पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा० निवासी गोठरा
	729/1			0.268	
	731/2			0.315	
	732			0.520	
	किता-4			1.583	
2	733/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.435	जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा० निवासी गोठरा
	734/1			0.183	
	किता-2			0.618	
3	740/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.131	चिरौजी चतरू रामप्रसाद सावरिया धर्मराज पुत्रगण फूल्या पार्वती रामनाथी पुत्रियां फूल्या गुलाव बाइ बेवा फूल्या जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा
4	741/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.159	सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेमपुत्री हीरालाल
	742/1			0.133	

	किता-2			0.292	हिस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा0 पुत्र रामसिंह संज्या नाबा0 पुत्री रामसिंह नाबा0 सर0 मां रूकमा हि 1/16 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
5	743/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.252	बीरबल पुत्र हवला जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
6	759/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.168	मुरारी पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
7	760/1	भू-दान कृषक		0.156	राधे पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
	कुल	7		3.200	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।



प्र. क्र. 0029-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम कोंकड़ प.ह.क्र. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.168 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम कोंकड़ प.ह.क्र. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	कोंकड़
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.168 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	29/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	शिवराज सिंह, गिराज सिंह, शंकरसिंह, अशोकसिंह, कुलदीपसिंह, जयसिंह पुत्रगण रामस्वरूपसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम लाडपुरा हि. समान भाग
2	39/2 40 41 42/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005 0.052 0.021 0.064	विसन पुत्र गेंदया जाति सहर पता नि. ग्राम गोठरा
	किता-4			0.142	
	योग	5		0.168	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 30-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम लाडपुरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 2.870 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम लाडपुरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	लाडपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.870 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	15/2	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.007	रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी पार्वती, लीला, छुटटो, छोटा, मनभर, पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि० लाडपुरा
	16/1/2			0.063	
	किता-2			0.070	

2	18/2/2 19/2	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.054 0.090	रंजीता रामनिवास पुत्रगण ग्यारस्या रामी निम्नो पुत्रीयां ग्यारस्या हि 4/6 समान भाग मनीष जम्मू पुत्रगण नंदू कांती सुधा पुत्रीयां नंदू रामी वेवा नंदू हि 1/6 समान भाग पप्पू पुत्र सुखी रामा पुत्री सुखी हि 1/6 समान भाग जाति सहर नि0ग्राम लाडपुरा
	किता-2			0.144	
3	21/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.247	रामकिशन पुत्र सुरजी जाति गुर्जर पता नि0 ग्राम लाडपुरा
4	22	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.272	भेरू पुत्र सुखचंद हिस्सा 1/8 भाग विजय लालराम पुत्रगण गन्नु कल्याणी बेबा गन्नु हिस्सा 1/8 समान भाग माखन पुत्र पप्पू भूरी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/8 समान भाग जगदीश पुत्र मथुरा काडी पार्वती पुत्रीयां मथुरा हिस्सा 1/8 समानभाग जम्मो पुत्री भवरिया हिस्सा 1/8 बाबू पुत्र ग्यारसा
					परसादी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/8 समानभाग जीवन रामचरण श्रीपाल पुत्र गण चतरू रामसिया दासी पुत्रिया चतरू राजो बेबा चतरू हिस्सा 1/8 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम लाडपुरा
5	23/1/2 29/1/2	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.099 0.096	गोपाल सिंह मोहन सिंह सम्भू सिंह कैलाश पुत्र गण अमरसिंह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिंह जसोद बेबा अमर सिंह जाति ठाकुर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
	किता-2			0.195	
6	23/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.090	शिवराज सिंह गिराज सिंह शंकर सिंह अशोक सिंह कुलदीप सिंह जयसिंह पुत्रगण रामसिंह हिस्सा समान भाग जाति ठाकुर नि0ग्राम लाडपुरा
7	30/2 32/2 31	भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी	0.267 0.147 0.105	बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
	किता-3			0.519	
8	33/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.297	रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र भंवर लाल जाति खटीक पता निवासी ग्राम लाडपुरा
9	34/1 34/2/1	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 0.209	काडू पुत्र नाथ्या हि0 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी बेबा प्रहलाद हि0 1/4समान भाग गंगाराम गिराज दुर्गालाल कल्लाराम पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचंदी राबूदी प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि0 1/4 समान भाग राजाराम हरिगोवन्द रघुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि0 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
	किता- 2				

10	60/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.137	गनपत पुत्र अमरली हरबाई दुलारी रूमाली पुत्रिया अमरली हि0 4/30समान भाग रामरूप राकेश पुत्र गण रघुवीर रामधोडा रसीदा बा0 रबीना ना0 पुत्रिया रघुवीर बाबूली बेबा रघुवीर हि0 1/30 समान भाग राधे पुत्र कमरिया हि0 1/6 उम्मेदी पुत्री कमरिया हि0 1/6 अर्जुन भवरिया मनफूल रघु पुत्रगण वाला हि0 1/2 समान भाग जाति सहर नि0 लाडपुरा
11	62			0.178	सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा
	63			0.303	
	किता-2			0.481	
	कुल	17		2.870	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 31-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम भसुन्दर का टपरा प.ह.क. 18 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 7.210 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम भसुन्दर का टपरा प.ह.क. 18 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	भसुन्दर का टपरा
घ लगभग क्षेत्रफल	7.210 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	441/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.008	फल्गू पुत्र गोपाल हि0 1/2 रामस्वरूप पुत्र लड्डू शांति पुत्री लड्डू हि. 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम
2	442/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.903	मलखान पुत्र हीरालाल जाति जाटव पता नि0 ग्राम
3	443/2 450/2 444 448	शा.प. से भूमिस्वामी शा.प. से भूमिस्वामी भूदान कृषक भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.187 0.060 0.742 0.888	अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा0 पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा0 सर0मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि0 ग्राम समान भाग
	किता-4			1.877	
4	445	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.836	मांगीलाल पुत्र चम्पाराम जाति जाटव पता नि0 ग्राम
5	446/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.214	छोटे सिंह पुत्र खिच्चू सिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित

					भूरा. 2.00
6	447/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	1.555	नीरज पत्नी दिनेश सिंह जाति ठाकुर पता नि0
7	449/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	1.240	खिच्चू सिंह पुत्र फतहसिंह जाति ठाकुर नि.ग्राम
8	471/2	शास0 पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.577	अर्जुन सिंह पुत्र शिव प्रकाश जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम
	कुल	11		7.210	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 32-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम चकबमूलिया प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.301 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम चकबमूलिया प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	चकबमूलिया
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.301 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	58/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.301	जुगराज पुत्र नाथू बैरवा नि.ग्राम
	कुल	1		0.301	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 33-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम शंकरपुर प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 2.598 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम शंकरपुर प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	शंकरपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.598 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	435/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.004	लड्डू जेरू लखू भरतु पुत्रगण मनफूल मुन्नी हरमीला जम्फूबाई पुत्रियां मनफूल हिस्सा 1/2 रामनिवास पुत्र गोवर्धन हिस्सा 1/2 जाति सहर नि. ग्राम
2	435/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.836	रामअवतार पुत्र गुलाब जाति बंजारा नि. रामबाडी
3	435/2/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	तनसी पुत्र माना जाति सहर नि. अजनोई तह. कराहल
4	439/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.340	हंसी पुत्र बीरबल हिस्सा 5/8 गुलाब फोदी द्रोपती पुत्रियां बीरबल हिस्सा 3/8 जाति सहर नि. ग्राम
	कुल	4		2.598	



1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के सम्बंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 34-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम कोटरा प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.374 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम कोटरा प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर

ग. ग्राम कोटरा  
घ लगभग क्षेत्रफल 0.374 हेक्टर  
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	248/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.266	दुलजी पुत्र मांग्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
2	250/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.108	नानकी पुत्री मोती जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
	कुल	2		0.374	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 35-अ-82-2018-19

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम दोला का पुरा प.ह.क्र. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 1.003 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम दोला का पुरा प.ह.क्र. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	दोला का पुरा
घ लगभग क्षेत्रफल	1.003 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	339/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.081	नारायण पुत्र नैना जाति बंजारा पता नि0 ग्राम शास0 पटटे से भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.00
2	341/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.177	घनश्याम दत्तक पुत्र शंकर जाति सहर पता नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.30
3	343/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.058	अरूण सिंह, अभिषेक सिंह पुत्रगण गजेन्द्र सिंह ठाकुर पता नि.श्योपुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50

4	346/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.088	गोपाल पुत्र पीस्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.87
5	347/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.087	पुष्पा पत्नी सुन्दरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.000
6	367/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.121	गोपी पुत्र प्रेमा जाति बंजारा पता नि० ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.00
7	368/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.047	मानसिंह पुत्र बंजरगा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.00
8	369/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.049	काजू भैरु,हरी भोगीराम पुत्रगण काना गौरा हरबो पुत्रीयां काना जाति बंजारा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी समान भाग भू राजस्व
9	376/4/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	रमेशी देवा घनश्याम राममोहन पुत्र घनश्याम टीना पपीता पुत्रीयां घनश्याम जाति बंजारा नि. ग्राम समान भाग भू राजस्व 2.25
10	377/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.049	गोपी पुत्र लालू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 6.00
11	378/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.040	राधे देवा पृथ्वी रामचरण बाला पुत्रगण पृथ्वी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी समान भाग भू राजस्व 0.73
12	384/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	धोडी बेवा जगराम वीरसिंह धनपाल पुत्रगण जगराम जसोदा पुत्री जगराम जाति बंजारा नि ग्राम हि समान भाग भूदान कृषक भूराजस्व 0.02
13	385/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.091	देवीराम शिशुपाल वीरम जी दुलीचंद राजेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ बनवासी उर्मिला पुत्रीयां जगन्नाथ कन्या देवा जगन्नाथ जाति जाटव पता नि. ग्राम समान भाग भूदान



					भूमिस्वामी भू राजस्व 1.28
14	386/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.016	लक्खा बजरंगा बाबूराम पुत्रगण मोती संतरा गुडडी पुत्रीयां मोती धन्नी वेवा मोती जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान कृषक समान भाग भू राजस्व 0.30
	कुल	14		1.003	नारायण पुत्र नैना जाति बंजारा पता नि० ग्राम शास० पट्टे से भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.00

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 36-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रामबाड़ी प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.473 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रामबाड़ी प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	श्योपुर
ख. तहसील	श्योपुर
ग. ग्राम	रामबाड़ी
घ लगभग क्षेत्रफल	0.473 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	16/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.119	इलियास पुत्र सेफुददीन जाति मुसलमान नि.ग्राम ज्वालापुर
2	20/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.101	हंसराज पुत्र धन्ना जाति जाटव
3	20/2/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.101	महावीर पुत्र धन्ना जाति जाटव
4	21/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	महावीर पुत्र मांगीलाल जाटव
5	44/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.039	बाला पुत्र आनंदया जाति जाटव
6	46/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.013	इलियास पुत्र सेफुददीन जाति मुसलमान नि.ग्राम ज्वालापुर
	कुल	6		0.473	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।



2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0037-19-20-अ-82

श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम न्यू भीखापुर प.ह.क. 32 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल रकवा 0.980 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जोकि ग्राम न्यू भीखापुर प.ह.क. 32 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 19. भूमि का वर्णन

क. जिला	-	श्योपुर
ख. तहसील	-	श्योपुर
ग. ग्राम	-	न्यू भीखापुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	-	0.980

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	271/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.168	हुसैन अहमद हसन उसमान वा. आजाद नावा. पुत्रगण नज्ज सर मु अगरियाँ माँ खुद जिन्नत. जैतून जैरा पुत्रियाँ नज्जा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ज्वालापुर भूमिस्वामी

2	272/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.166	मु. तुरसा वेवा रतन सूरजन रामप्रसाद रामस्वरूप काशीराम रमेश हरविलास पुत्रगण रतन जाति सहर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	309/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.175	सुगन गोपी मुन्ना कल्लू पुत्रगण रामचंद मु. पुन्नी वेवा रामचंद हि. 1/8 समान भाग भूमिस्वामी, हरदेव पुत्र विषन हि. 1/8 निर्मल पुत्र रामलाल सम्पति वेवा रामलाल हि. 1/4 धर्मेन्द्र कमल पुत्रगण रामकिशन मु. शान्ती वेवा रामकिशन जूगराज पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4	310/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	कृषि	0.391	ओमप्रकाश पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित।
5	313/2	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी		0.080	हीरालाल पुत्र गोन्दय जाति सहर निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित।
कुल 05				0.980	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0038-19-20-अ-82

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रायपुरा प.ह.क. 38 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में कुल रकवा 2.394 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जोकि ग्राम रायपुरा प.ह.क. 38 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील-श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला-श्योपुर में उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है।



## अनुसूची

## 18. भूमि का वर्णन

क. जिला	-	श्यापुर
ख. तहसील	-	श्यापुर
ग. ग्राम	-	रायपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	-	2.394

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	437/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.070	प्रभूलाल पुत्र गोर्धन जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2	438	भूमिस्वामी	कृषि	0.491	प्रभूलाल पुत्र गोर्धन जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	445/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.823	गौता बाई खण्डेलवाल पत्नी मुकुटविहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य निवासी श्यापुर भूमिस्वामी
4	447	भूमिस्वामी	कृषि	0.345	शान्ती बाई पुत्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी श्यापुर भूमिस्वामी
5	448/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.105	बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6	449	भूमिस्वामी	कृषि	0.105	बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
7	454/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.063	हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी
8	454/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.132	गौता बाई खण्डेलवाल पत्नी मुकुटविहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य निवासी श्यापुर भूमिस्वामी
9	464/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.115	हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी
10	464/4 465				हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी
11	466/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.035	प्रदीप कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल 11				2.394	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबन्धित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  - नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  - उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
  - कलेक्टर, जिला श्यापुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्यापुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इरागे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 12-अ-82-19-20-कोलगांव-1330

बैतूल, दिनांक 1 फरवरी 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	कोलगांव	18.029	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क० 2 बैतूल	चौकी कोलगांव जलाशय हेतु भूमि का अर्जन

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद व० मोहनलाल जाति तेली सा० देह	211/18	1.914	1.914
2	नितिन व० मोहनलाल जाति तेली सा० देह	211/4	1.728	0.959
3	लीलाबाई जौजे उद्गावराव जाति मराठा सा० देह	211/3	0.999	0.999
4	सोना बेवा टंटी, राजू व० टंटी जाति किराड सा० देह	211/7	0.685	0.230
5	मुन्नु व० कुंवरलाल जाति अ०जा० सा० देह	211/6	1.619	0.631
6	धनराज व० कुंवरलाल जाति अ०जा०सा० देह	211/17	1.718	0.696
7	अमरलाल व० भोदू, रामकली, सोमती, शिवकली, श्यामकली, पुत्री भोंदू, चन्द्रभागा बेवा भूरा, सुखनंदन, संतोष, सावन्या व० भूरा, सोमती, सुगन्ती, पुत्री भूरा, सतोका जौजे भभीचंद, रामरतन, मंगल, सुखदेव व० सुखराम मैनाबाई बेवा तिलक, रविशंकर, शिवशंकर व० तिलक, तारा अंजीरा पुत्री तिलक, शिवरती बेवा बंशी, कमलेश, संजू मनोज, दिलीप पप्पू व० बंशी जाति किराड सा० देह	342/1	4.618	3.024
8	राजेन्द्र व० मनीराम जाति किराड सा० देह	342/2	1.828	0.444
9	दिनेश, गणेश, व० प्रेमलाल, प्रेमलाल व० पूनाजी जाति तेली सा० देह.च	343/1	3.448	2.039
10	जनकलाल व० पूनाजी जाति तेली सा० देह	343/2	3.035	2.762
11	जमुना बेवा दमड़या, सोमा, गोमा, रामा पिता दमड़या, सरस्वती, सुग्रीव पिता दमड़या, जाति कोरकू सा० देह	344	6.475	1.376
		346	1.720	1.057
		347	0.109	0.029
12	श्रावन व० वात्या अ०जा० सा० देह	349	2.582	1.869
	योग		32.478	18.029

- 1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.19 अ-82-19-20-1327

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बासनेर खुर्द	0.620	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं.-2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	बासनेरकला जलाशय

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	धर्मराज पुत्र महादेव, जाति कुन्बी, सा.देह	81/1	0.537	0.200
2	जगदीश पिता भगवन्तराव, जाति कुन्बी, सा.देह	81/2	0.541	0.280
3	ज्ञानदेव पुत्र शेषराव, जाति कुन्बी, सा.देह	81/3	0.290	0.140
	कुल योग :-	03	1.368	0.620

1- चूंकि बासनेर कला जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 20 अ-82-19-20-1332

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5.	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बासनेरकला	1.274	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं.-2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	बासनेरकला जलाशय

#### अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	रामचन्द्र व. गेंदराव, मखु बेवा गेंदराव, जाति कुन्बी, सा.देह	148	0.939	0.939
2	सुखदेव व. गुलाबराव, जाति कुन्बी, सा.देह	161/1च	0.212	0.200
3	प्रयाग व. सीताराम, रुखमा बेवा देवराव, मानीकराव देवराव, सुशीला, कमला पिता. देवराव, राखी बेवा सीताराम, जाति कुन्बी, सा.देह	154	0.182	0.135
	कुल योग :-	03	1.333	1.274

- 1- चूंकि बासनेर कला जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भेंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
4. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. 32 अ-82-17-18-लिहदा-1325.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम लिहदा तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	लिहदा	113.728	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	लिहदा लघु जलाशय.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 33 अ-82-17-18-जामगांव-1322.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम जामगांव तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	जामगांव	68.609	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	लिहदा लघु जलाशय.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 34 अ-82-17-18-सेमला-1323.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम सेमला तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना

का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सेमला	0.834	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	लिहदा लघु जलाशय.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 35 अ-82-17-18-तावला-1326.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम तालवा तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	तावला	19.987	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	लिहदा लघु जलाशय.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2020

पत्र क्र. 113-प्रशा.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित

खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	खर्वा 180	0.700	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत).

पत्र क्र. 115-प्रशा.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	खर्वा 190	1.200	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत).

पत्र क्र. 117-प्रशा.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	हडिया 1039	0.700	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.



## राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2019

पत्र क्र. 1118-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवाँ,  
(ग) ग्राम—करौँदा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
146/31	0.072	-
योग . .	0.072	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.072	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर एवं सबमाइनर करौँदा के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 जनवरी 2020

पत्र क्र. 81-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवाँ,  
(ग) ग्राम—गोंदरी नं. 2  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.162 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
54	0.016	-
6	0.018	-
5	0.128	-
योग . .	0.162	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.162	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्यौँटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 जनवरी 2020

क्र. 09-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके

द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.963 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

92/2/2

0.040

92/2/3

0.040

92/2/4

0.040

92/2/5

0.040

92/2/6

0.040

92/2/7

0.012

92/2/8

0.012

92/2/9

0.002

92/2/10

0.002

92/2/11

0.002

92/2/12

0.008

92/2/13

0.002

92/2/14

0.004

92/2/15

0.004

93/1/1

0.005

93/1/2

0.044

93/1/4

0.044

93/1/5

0.050

93/1/6

0.050

93/1/10

0.008

93/1/11

0.008

21/1/2/2

नलकूप (1)

94/1/ब/1/1

0.043

94/1/ब/1/3

0.048

94/1/ब/1/4

0.048

94/1/ब/1/5

0.048

94/1/ब/1/6

0.048

94/1/ब/1/7

0.009

94/1/ब/1/8

0.048

20/1/5

0.008

82/1/क/2/2

0.045

82/1/क/2/1

0.045

16/3/क/1

0.033

16/3/ख/1

0.033

16/4/ख/1

0.025

17/4/च

0.032

16/4/ग

0.029

(1)

(2)

16/4/घ

0.028

16/1/1

0.032

17/3

0.041

17/4/छ/1

0.008

17/4/छ/2

0.008

17/4/छ/3

0.008

17/4/छ/4

0.008

17/4/ग

0.031

17/4/ङ/1

0.008

17/4/ङ/2

0.008

17/4/ङ/3

0.008

17/4/ङ/4

0.008

19/1

0.040

19/2/ख

0.024

19/2/क

0.024

20/1/1

0.006

20/1/5

0.008

20/2

0.008

21/2

0.025

21/1/1/2/1

0.006

21/1/1/3/1

0.008

21/1/1/4/1

0.008

21/1/1/5/1

0.008

21/1/2/1/1

0.006

22/3/क

0.020

22/3/ख

0.024

32/4/1/1

0.073

32/1/1

0.016

32/2/1/2

0.040

32/2/1/3

0.012

32/2/1/4

0.008

32/2/1/5

0.008

32/4/1/2

0.008

30/1

0.040

29/1/2/1

0.095

34/1/1/1

0.030

33/1/क/1/1

0.042

33/1/क/2/1/1

0.024

33/1/क/2/2/1

0.020

33/1/ख

0.042

29/1/1/1

0.095

कुल रकबा . . . 1.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सहायक कार्यकारी अभियंता (निर्माण-III) सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. 931-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क)	जिला—छिन्दवाड़ा
(ख)	तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-सांख, प.ह.नं.-73, ब. नं.-544, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ)	अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.357 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
313/1	0.021
313/5	0.018
313/15	0.060
313/16	0.160
268/3	0.080
313/3	0.012
313/28	0.006
कुल रकबा.	0.357 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 934-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क)	जिला—छिन्दवाड़ा
(ख)	तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-झंझरिया उर्फ खुटिया, प.ह.नं.-57, ब. नं.-207, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ)	अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.206 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
525/7	0.069

(1) 525/5	(2) 0.137	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खमरा, प.ह.नं.-90, ब. नं.-57, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.	(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.136 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
	कुल रकबा. . 0.206	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की खुटियां माईनर-1 निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		198	0.114
		74/1	0.022
		कुल रकबा. . 0.136	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली 5 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
		(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

क्र. 935-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

क्र. 936-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भाजीपानीकलां, प.ह.नं.-68,  
 ब. नं.-427, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा-1.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.063  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर आने  
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
240/1	0.016
242/1	0.020
86/3	0.027
योग. . 0.063 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-

चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 937-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उमरहर, प.ह.नं.-70,  
 ब. नं.-23, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.146  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर आने  
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
554/4	0.036
247	0.081
307	0.029
योग. . 0.146 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 938-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उभेगांव, प.ह.नं.-43,  
ब. नं.-19, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.692  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1, 3/1	0.200
4/1	0.119
10/1	0.048
14/1	0.149
15/1	0.176
योग.	0.692 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 939-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-झिलमिली, प.ह.नं.-21/39,  
ब. नं.-110, रा. नि. मं.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.105  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135, 136/1, 137, 138/3, 139/11-12	0.037

(1)	(2)	(ग)	(घ)
372/1	0.068 योग. . 0.105 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	नगर/ग्राम—ग्राम-आमटा, प.ह.नं.-21/40, ब. नं.-05, रा. नि. मं.-चौरई.	कुल रकबा-0.052 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 52/8	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.052 योग. . 0.052 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

क्र. 940-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चौरई

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्र. 1064-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2020.—कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा-ग्राम तितरी की

नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा-11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को किया गया है।

“भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 (7) उपधारा (1) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र भाग-एक में दिनांक 18 जनवरी 2019 को पृष्ठ क्रमांक-318 में हो चुका है। अधिनियम की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 17 जनवरी 2020 को होना था, किंतु उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र भाग-एक में दिनांक 24 जनवरी 2020 को पृष्ठ क्रमांक-222 से 223 में हुआ है। फलस्वरूप कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, द्वारा पत्र क्रमांक 186-कार्य-2020 दिनांक 31 जनवरी 2020 में नहर के एलाइमेंट में परिवर्तन होने के कारण धारा-19 की कार्यवाही समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने से पुनः अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, के पत्र क्रमांक 186-कार्य-2020 चौरई दिनांक 31 जनवरी 2020 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 (7) उपधारा-1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 1065-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| (क) | जिला—छिन्दवाड़ा   |   |
| (ख) | तहसील—छिन्दवाड़ा  |   |
| (ग) | नगर/ग्राम—ग्राम-खापाकलां, प.ह.नं.-69,<br>ब. नं.-94, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा. |   |
| (घ) | अर्जित किये जाने वाला<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल—                              | कुल रकबा-0.080<br>हेक्टेयर एवं प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर आने<br>वाली संपत्तियां। |

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

199/3

199/4

270/6

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.032

0.018

0.030

योग. . 0.080 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-14-अ-82-2019-20-मौजा-ब्राह्मणवाड़ा-1912.-

बैतूल, दिनांक 13 फरवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	8.243	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

## अनुसूची - 2

## (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	319	0.664	0.484	भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पब्लुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी बुटकी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व. नारायण जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी दिनेश प्रेम व. शिवलाल दिपीका पिता शिवलाल भूमि स्वामी
	324	0.833	0.833	
	325	0.154	0.154	
2	342	3.112	2.512	नैपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना चुनिया पिता फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	349	2.266	2.266	मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुड़लू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	355	1.408	0.550	
4	523/3	1.619	0.622	राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी

5	360	0.077	0.077	बलीराम युवराज व. रामाकंला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. तुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6	316/14	0.227	0.227	शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	323/1	0.482	0.382	मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरूपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
8	318	0.809	0.136	दिनेश पिता मंशाराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
महायोग		11.651	8.243	

1. चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-15-अ-82-2019-20-मौजा-सावंगा (नहर)-1933.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की लम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( संक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सावंगा	3.051	घाटबिरोली लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	318	1.675	0.112	बुधराव अड्डिवन व. मंचितराव सकुन बे. मंचितराव वंदना अर्चना कल्या पिता मंचितराव रामजी व. केशो गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव गोपी बे. मारोती गंगा बे. नत्थू चन्द्रकंला कमला सिन्धु गुन्ता प्रमिला उमा पि. नत्थू सुस्त व. मयाराम गुलाबराव व. शिवजी तेजी व. रघु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	319	2.667	0.167	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा लहया व. पारन्या मैना कला पि. पारन्या फगनू सुधिर सुभाष सुरेन्द्र व. सावन्या कंला बे. सावन्या लता पि. सावन्या नवल किशोर शंकर कमलेश व. छोटेला जाति पंवार पता सा. देह
3	321/1	1.060	0.065	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4	321/2	1.061	0.028	लहया व. पारन्या कंला पि. पारन्या हेमराज भीमराज व. रफूजी प्रमिला निर्मला पिता पिता रफूजी जाति पंवार पता सा. देह
5	322/2	0.400	0.102	सुधाबाई जौ. सुरजु पंता सा. मुलताई
6	322/4	1.412	0.070	बाया बेवा सालक श्यामलाल गुलाब व. चैतराम मैना कुशमा पिता चैतराम कंला बेवा अंधु रामजी सरजू चिरोजी व. लोटन धाराश्याम गोकुल व. इंदल ऊषा आशा रुशिया पिता इंदल जाति भोयर सा. देह
	322/7	0.512		
7	324/1	1.080	0.046	बारक्या व. गजमल बाजेराव व. नन्दराम कंला बे. अन्धु कारी उजरी पिता अन्धु जाति भोयर पता सा. देह
8	434	2.100	0.167	बसन्तराव व. नन्दराम सा. देह
9	420/1	1.170	0.051	लक्ष्मण मारोती व. किसन जुगना सामनू पिता किसन जाति भोयर पता सा. देह
10	421/1	0.429	0.232	श्यामु व. छुट्टन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	365/1	0.180	0.102	
11	431	0.563	0.158	जैतूल बे. मारोती दशरथ कैलाश सुरेश अमर व. मारोती सुमन सैदो संशीला नान्ही पिता मारोती नुगना सायन पिता किसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	415/2	0.150	0.074	नारायण व. रामा जाति पंवार पता सा. देह
13	415/1	1.800	0.042	मारोती रतन व. साजू हारालाल साहबलाल सुन्दरलाल प्यारेलाल बिहारीलाल-व. मना पुनिया पिता मना पता सा. देह
	415/3	0.613	0.065	
14	327/1	3.194	0.172	मंचितराव व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव निर्मला पिता गुलाबराव गोपी बे. मारोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	312/5	5.181	0.348	
15	312/1	6.723	0.218	भीमराव शंकर आनंदराव सुधाकर व. रामजी जाति कुन्धी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	330/1	0.332	0.069	जैना बेवा नान्हू पता सा. देह
17	330/3	0.274	0.116	तुरती उर्फ लुखी जौ. बोन्या रूखमी बे. किसन मारोति परसराम लखन गुलाब संजय व. बोस्या पूर्णा पिता बोल्या कौशल्या बे. बोल्या जाति पंवार पता सा. देह
	330/2	0.273	0.032	
18	330/4	0.273	0.116	भैया शेषराव व. रामराव लक्ष्मी बेवा रामराव टेमरी व. भैया कारी जौ. मनीराम नन्धू व. घनश्याम देवकी बे. भैया सा. देह
19	555/2	0.809	0.028	बोल्या व. किसन जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	355/3	0.340	0.023	
20	356/1	0.460	0.042	बसन्तराव बाजीराव व. नन्दराम देवना पूर्णा पिता नन्दराम लहया छोटे व. पारन्या कंला मैना पिता पारन्या सा. देह भूमि स्वामी
21	361/6	0.890	0.139	गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव बुधराव अश्विन व. मंचितराव चंदना अर्चना कल्पना पिता मंचितराव शकून बे. मंचितराव जाति कुन्धी
22	384/4	0.108	0.032	रतन लखन व. रामलाल शांता जया रखिया पिता रामलाल जाति भोयर पता सा. देह
23	383	0.235	0.235	सुन्दरलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		35.964	3.051	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-16-अ-82-2019-20-मौजा-पोहर-1929.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	पोहर	0.879	देहगुड़ लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	449/3	0.890	0.116	कुंडलिकराव वल्द गोविंदा सा. देह भूमि स्वामी
2	449/1	5.650	0.568	सैवंती बेवा फकिरया बबी, कंचना पिता फकिरया सा. मोहरखेड़ा
3	450/2	0.804	0.195	योगेश वल्द वामनराव, मोरेश्वर ना.बा. वल्द वामनराव वली मां जैवंती जौ. वामनराव कुन्बी सा. देह
महायोग		7.344	0.879	

1. चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-17-अ-82-2019-20-मौजा-निम्बोटी (नहर)-1915.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	निम्बोटी	5.366	घाटबिरोली लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
**(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	77/3	2.023	0.084	पुन्नी चुन्नी व. मैजू मथुरा चतुरा पिता मैजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम
2	77/7	0.650	0.046	आनन्दराव व. डुकरिया पता निवासी ग्राम
3	77/2	1.445	0.097	मुशाराम, घन्साराम परसराम नरसिंगराव व. ओझा कौशल्या सुमित्रा पिता ओझा बुलकी बेवा ओझा जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	80/4	0.809	0.809	नान्ही पिता हरी पता निवासी ग्राम भू-राजस्व
5	80/13	1.300	0.065	महादेव व. पुनु बन्नी बेवा पुनु सीता पिता पुनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम कविता बेवा नेहरू रोहित वैशाली ना.बा. पिता नेहरू वली मां कविता जाति गोंड पता निवासी ग्राम
	98	3.363	0.033	
6	99/2	1.214	0.185	हरी पिता भदया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	99/1	1.869	0.139	रामरती जौ. रतन जाति पंवार पता निवासी ग्राम सांवगा भूमिस्वामी
8	99/4	0.625	0.163	पारबती बेबा महादेव रामदयाल कैलाश व. महादेव इन्दू बाया पिता महादेव पता नि. ग्राम
9	86	1.377	0.162	पुनु व. चिन्धु हिरया बेवा चिन्धु पता निवासी ग्राम
10	114/6	0.850	0.102	नत्थू बालाजी गेन्दराव व. जैराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
11	114/3	0.500	0.065	हरिभाऊ अनिक व. दुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
12	114/5	0.567	0.069	सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेवी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह
13	142/2	0.520	0.055	कमला पिता केशोराव कौशी बेवा केशोराव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
	142/3	0.316	0.125	
14	146	0.481	0.135	मुन्नी बेवा चिरोंजी बजुलाल गौगड़ व. चिरांजी तुलसा गोले पिता चिरोंजी रामरती बेवा वामन हेमराज सुदामा व. वामन भोमा व. चैतराम रामकली पिता मिश्री ओझा कैलाश जगदीश सदया व. अमीलाल गोडन पिता अम्मीलाल बन्ती पिता अमीलाल नत्थू व. हिरया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	145	0.162	0.032	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ, शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन पता सा. देह

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
16	144	0.121	0.067	लीलावती पिता बापू जाति गोंड पता सा. देह
17	140/2	0.190	0.056	रामप्रसाद व. दमड़या जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	140/1	0.094	0.060	
18	135	0.454	0.102	रामनाथ व. नन्दलाल सती कला पिता नन्दलाल पता निवासी
19	130	0.271	0.010	यामराव पिता पैंगू शांता बे. पंजाबराव रविन्द्र. राजेन्द्र जितेन्द्र व. पंजाबराव जितेन्द्र व. पंजाबराव बाती पिता विजय, बलवंतराव हरि श्रीराम व. भीमराव निर्मला सुनिता पुष्पा पिता भीमराव सरस्वती बे. भीमराव सोनू व. दौलत शीतल पिता दौलत सावित्री बे. दौलत अजय विजय व. गुलाबराव इन्दू बेवा गुलाबराव गीता जौ. कृष्णा जाति कुन्बी
20	131	0.283	0.023	शांता बेवा पंजाबराव कृष्णा व. श्यामा जाति कुन्बी सा. देह
21	222/1	0.247	0.140	अरुण कुमार विजय कुमार व. अंगद जाति गौली
22	255/5	0.040	0.040	सद्दू व. बाबू जाति कुन्बी सा. देह
23	251/1	1.032	0.223	रमली दयना दुल्लो बेलो गुजरी पिता डोमा बंशीलाल व. नौखे भागा लुन्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	249	0.138	0.032	
	246/1	0.204	0.032	
24	248	0.202	0.046	धर्मराज व. भारत सा. देह
25	247	0.202	0.084	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन
26	243/8	0.175	0.051	राम किशोर पि. छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
	243/7	0.161	0.042	
	243/6	0.304	0.097	
27	243/5	0.250	0.065	मन्ना व. राधे पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
28	243/2	0.236	0.070	नन्धू व. छोटेलाल जाति गौली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
	243/4	0.175	0.028	
29	9/26	0.475	0.475	सुरजू व. लोटन सा. देह
30	10/6	0.700	1 मकान	गणपति व. जैराम सा. देह
31	142/2	0.364	0.070	प्रेमलाल व. नानक पता सा. देह भूमि स्वामी
32	145	0.162	0.032	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन
	247	0.202	0.048	
33	140/1	0.800	0.060	मुन्ना शंकर अमरलाल परसराम व मोहनू नान्ही पिता मोहनू मोहनलाल गुलबू विपत व. गरजन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गरजन हीरा मीरा पिता दमड़या बंशीलाल व. नौखे भागा सुग्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34	222/1	1.121	0.153	अजाबराव व. बैनी मानिकराव व. उदोबा अमृत नामदेव सहादेव व. पैंगू गजानन्द व. बाबू कैलाश सुभाष व. रामराव शिवशंकर व. लुन्गा आलोखी पिता लुन्गा हदारका बेवा रामराव रामजी व. सिन्धू आशा विद्या चन्द्रकला पिता रामराव रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू अरुण कुमार संजय कुमार व. गुलाबराव सुशिला अनिता सुनिता पिता गुलाबराव मैना बे. गुलाबराव रामराव गुलाब किसन शिवशंकर अलोखी पिता लूंगा भूमि स्वामी निवासी ग्राम
35	248	0.202	0.046	नारायण व. गोहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
36	243/12	0.250	0.070	बलराम बलवंत श्रावण व. धन्नु शिवकली चंपा पिता धन्नु जाति गौली सा. देह
37	95/1	3.462	0.321	अजाबराव व. बेनी भोजराव व. उदोबा अमृत नामदेव साहदेव व. पेगू गजानंद व. बापू कैलाश सुभाष व. रामराव चंद्रकला आशा सिन्धू मीना पिता भैया रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू जाति कुन्बी सा. देह
38	95/6	0.500	0.237	पंजाबराव कुंडलिकराव साहेबराव व. अमृतराव सा. देह
39	95/5	0.405	0.144	सिंधुबाई बेदी पंजाबराव हितेश राजेश व. पंजाबराव हेमलता सरिता पिता पंजाबराव सा. देह
40	95/2	0.841	0.076	सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेबी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी सा. देह
महायोग		32.334	5.366	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-18-अ-82-2019-20-मौजा-मल्हारा (नहर)-1916.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	मल्हारा	1.934	घाटबिरोली लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	65	0.567	0.069	रामचरण व. चैतराम पता सा. देह निम्बोटी
2	64	0.161	0.042	लंगी व. करू बाताड़ पुत्री कुरू रामवती बेवा करू करू व. काशीराम गोडू भूरिया पिता गेन्द्या शिवलाल बुद्ध सदाराम कलीराम व. चुन्टी सा. देह दुल्लर कला सुखवंती पिता चुन्टी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	60	3.047	0.199	धनराज व. अमृतराव जाति मेंहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	61/3	0.100	0.100	

4	63	4.112	0.139	देवीराम भागीरथ प्रवीण व. किसनलाल प्रमिला लक्ष्मी उर्मिला कौशल्या पिता किसनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
5	53/1	1.433	0.081	विलासराव उर्फ धनराज व. संपतराव पारबती उर्फ बिरजो बेवा संपतराव जाति मेहरा पता सा. आमला
	61/1	0.320	0.051	
6	53/2	1.142	0.051	लीलावती बाई जौ. रामप्रसाद यादव गौली पता सा. निम्बोटी
	61/2	0.072	0.046	
7	53/5	2.094	0.330	भीमराव व. प्रहलाद जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	51/1	1.940	0.088	शीला बेवा रामदयाल सतीष उत्तम पिता रामदयाल सरस्वती पिता रामदयाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	51/4	0.270	0.051	
	51/7	0.079	0.046	
9	51/3	1.590	0.162	मुशाराम आशाराम व. मंगलू कला पिता जंगली निर्मला पिता मंगलू सुनिल विजय व. पंछी लामी पन्दू माया पिता पंछी वच्छला बेवा पंछी रविन्द्र रामदीन व. हरि रेखा पूजा पिता हरि संगीता बेवा हरि जाति गोंड
	51/6	0.130	0.051	
10	51/2	1.188	0.098	तुकाराम व. गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	51/5	0.190	0.079	मनोता पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	51/10	1.189	0.105	नानक पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	61/4	0.100	0.100	सहदेव व. चन्द्रभान जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	53/4	1.518	0.046	
महायोग		21.242	1.934	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्र.-19-अ-82-2019-20-मौजा-खारी-1913.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	खारी	0.420	बादलडोह लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**

**(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	334/4	0.809	0.121	प्रकाश धनराज व. शेषराव भोयर सा. देह
2	334/5	1.282	0.160	देवना जौ किशोरी शांती जौजे मनोहर सरिता जौ सुभाष सुरेन्द्र सेवकराम व. दर्शनलाल जाति भोयर
3	170	1.052	0.139	कलां पिता चिरांजी सा० देह
महायोग		3.143	0.420	

1. चूंकि बादलडोह लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-20-अ-82-2019-20-मौजा-अंभोरी-1914.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	अंभोरी	2.979	अंभोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
**(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	509	0.509	0.100	बाबूराव व कुसना लूहार पता सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी
	510	0.660	0.150	
	511	0.648	0.200	
	512	0.511	0.241	
2	499	3.291	1.405	गन्नी बेवा फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रामभऊ पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
3	539/2	0.165	0.165	मखनी बाई पति मिट्टु जाति गायकी सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी
4	508	2.084	0.080	रखिया पिता बक्सू रैनी बे बक्सू एन्सू व भिक्कू मनोता पिता भिक्कू भूमि स्वामी
5	515/1	0.907	0.300	कारी बेवा गन्दराव हेमराज रमेश अनिल अजित हरी वल्द गेन्दराव अनुसया अजनी पिता गेन्दराव जैवन्ती बेवा बाजीलाल मदन वल्द बाजीलाल उर्मिला पिता बाजीलाल भूमि स्वामी
6	497	2.525	0.180	दामोदर रामू गुलाब व. रामाराव भूमि स्वामी
7	513	0.478	0.158	लालमन व. तेजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		11.778	2.979	

1. चूंकि अम्भोरी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-21-अ-82-2019-20-मौजा-पस्तालाई-1911.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	पस्तालाई	14.977	पस्तालाई लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	149/11	2.000	0.180	मिट्ठू व. सावन्या
2	149/1	9.010	4.340	पुरनलाल जगदीश जयपाल पिता भादू अनिकेत ना. बा. पिता भादू वली मों रामरती जाति चम्हार
3	149/5	1.619	0.800	गंगा जौ. रामचन्द्र जाति भोयर
4	144/2	0.364	0.364	कलाबाई पति कपूरचंद जाति पंवार
	144/6	1.716	1.716	
5	144/3	0.364	0.364	कपूरचंद व टन्टी जाति पंवार
	144/5	1.744	1.564	
6	140	2.084	0.690	बाबूलाल छोटेलाल पुत्रगण दमडू
7	70/1	1.750	0.200	फुलवंती बेवा शिवचरन मधु सुंदरलाल अशोक चिन्ध्या दुर्गी पिता शिवचरण
8	70/5	0.738	0.738	तुलसा पिता केवजी बसंत आनंद पिता जंगल्या
9	149/13	0.574	0.574	शांता जौ. अंतु जाति भोयर पता सा. देह भूमि
10	149/16	0.574	0.574	नन्हा जौ. अशोक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	149/17	0.575	0.575	दिलिप वल्द श्रीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	149/18	0.574	0.574	भूरीबाई जौ. पुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	149/19	0.574	0.574	फुलमा जौ. चैतराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14	149/20	0.575	0.575	जोगी वलद धुड़ल्या पता निवासी भूमि स्वामी
15	149/21	0.575	0.575	अंजु जौ. नान्हु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
<b>महायोग</b>		<b>25.410</b>	<b>14.977</b>	

1. चूंकि पसतलई लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-22-अ-82-2019-20-मौजा-दुनई-1930.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	दुनई	9.257	काठी लघु जलाशय

**अनुसूची - 2  
(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	18/2	0.470	0.470	पुष्पलता बेवा पुनाजी प्रतेश व. पुनाजी विक्षा पिता पुनाजी देवाजी गणेश व. शंकरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
	280/2	0.419	0.083	
	282	0.271	0.271	
2	18/6	0.809	0.809	नाही पिता इठोबा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
3	18/11	0.121	0.121	रजनी जौ. देवाजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	18/16	0.121	0.121	
4	20/1	0.569	0.104	हीरा जौ. भीवजी पंवार
5	275/1	0.275	0.275	सुन्दर जौ. शंकर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
6	281/1	0.288	0.288	रामा व. कलौराम पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
	286	0.223	0.223	
7	305/4	0.242	0.100	पांची बे. विहारी मधु विपत व. बिहारी सकून बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व. मानिकराव संतोषी पिता मानिकराव सारजी माहो मीरा मुन्नी पिता बिहारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	307/1	0.121	0.121	
	309/4	0.106	0.106	
	298/9	0.140	0.140	
	298/7	0.160	0.076	
8	300/1	0.232	0.232	सिरी व. रावजी शंकर व. दमड़या जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
9	300/2	0.657	0.200	शंकर दमड़या सिरी सिरपत गणपत दलपत व. रावजी उर्मिला कमला परवत देवना पिता रावजी मुनिया पिता भूमि स्वामी
	306/2	0.127	0.120	
10	306/1	0.043	0.043	झुनिया पिता काशीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
11	281/4	0.117	0.117	राम गणपति शिवशंकर व. कलौराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	285	0.263	0.263	
	287/1	0.093	0.093	
12	290	2.792	2.00	राम गणपति शिवशंकर व. कलौराम, पैकी पुत्री कली जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	292	0.906	0.906	
13	281/5	0.622	0.542	शिवराम व. भिकारी पता निवासी सा. देह भू-स्वामी

1	2	3	4	5
14	281/11	0.131	0.131	राम प्रसाद व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	281/12	0.081	0.081	
15	18/10	0.770	0.121	कन्हैया व. भोलू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	18/15	0.224	0.168	
16	305/2	0.120	0.120	नान्हु व. लल्लू जाति पंवार
17	305/3	0.230	0.073	जियालाल व. अर्जून बायजा व. अर्जून शांती मगी जैना पिता अर्जून जाति पंवार
	295/4	0.224	0.224	
	309/1	0.406	0.025	
	307/2	0.141	0.135	
	298/8	0.358	0.089	
18	309/3	0.082	0.041	लक्ष्मण व. लल्लू सा. देह जाति पंवार भूमि स्वामि
19	298/11	0.225	0.225	नान्हु व. लल्लू
महायोग		13.179	9.257	

1. चूंकि काठी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-23-अ-82-2019-20-मौजा-काठी-1931.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	4.442	काठी लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	228/4	0.347	0.080	पंजाबराव व. राधेलाल जाति भोयर पता सा. देह भू-स्वामी
2	243/3	0.142	0.142	कचरा बेवा सुंदरलाल बाबूलाल साहबलाल दयाल लयराम व. सुन्दरलाल सुनिता कमला पिता सुन्दरलाल केकई बेवा दयाराम वली मा केकई रोगनी ना.बा. पिता दयाराम वली मा केकई पता पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
	243/4	0.562	0.562	
3	243/1	0.142	0.142	कमल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
	243/7	0.363	0.263	
4	237/4	0.182	0.182	चेनौ जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

7	239/1	0.338	0.338	प्रेमलाल रेवजी व. डोमा हिरा मुन्नी व. डोमा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
8	241	0.615	0.615	बाया बे. हिराजी नान्ही नन्हिया पिता हिराजी मनोज उमेश व. बाबुलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल संरेश सुरेन्द्र मोनू रमेश व. ओझा वलीमां देवकी लता पिता ओझा वाजी मा. देवकी जुगनी देवकी बेवा ओझा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	242	1.141	1.141	
9	243/2	0.263	0.160	मुन्नी जौ. कैलाश जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
10	243/5	0.565	0.365	मदन शिवशंकर शिवपाल व. दसरया जुगना उर्मिला जानकी पिता दसरया प्रहलाद कैलाश प्रकाश दयानंद व. बिहारी अनिता पिता बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	249/4	0.502	0.302	चेनी जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	254/1	0.930	0.150	रेवजी व. लहया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		6.092	4.442	

- चूंकि काठी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-24-अ-82-2019-20-मौजा-काठी (नहर)-1927.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	0.984	काठी लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	228/4	0.347	0.039	पंजाबराव वलद राधेलाल जाति भोयर
2	210	0.502	0.045	मौजी सावन्या व. दमड़या दया लालजी व. घनजी
3	196/1	2.008	0.064	भावजी व. भिलू बटनी पिता भिलू तेजी छोटे नान्हू राधाई बेवा बिरजू दशिया जीजे विनोदी धोगी बेवा बाजी बाला रामा भिकारी व. बाजी जैतूल
4	199	0.623	0.035	रावजी सुताबी हिराजी व. किसन
	198	0.158	0.042	
	197/2	0.288	0.029	

5	135/1	1.307	0.056	फकीर व. शोभ मैना बेवा शोभ देवना सूमन इमल पिता शोभा सिंगली देवाली मुन्ना जगदीश व. घुड़िया कारी पिता घुड़िया
6	135/2	0.87	0.056	रामजी रामबाल देवलाल नानकराम प्रहलाद व. धुन्डू शांता दुर्गा पिता धुन्डू
7	141	1.287	0.047	रतन बलराम बाबू कला कचरा बकू पिता सुरजा
8	145	0.243	0.070	शिवराम चैतराम व. परसू
9	147	1.125	0.042	सुकी पिता गोपाल पन्ना व. गणेश मैतूल पिता धना जाति पंवार
10	149/1	1.071	0.098	रावजी पिता किशन भिकारी सुड़क्या व. नान्दु
11	78	1.716	0.103	सुदर अंधी बैवा गनाजी सुकी मंजीरा निर्मला लल्ली मीरा पिता गनाजी
12	79/1	0.126	0.015	नस्थिया वल्द बाजीलाल पारनी पुरनी सुका करखा पिता बाजीलाल
13	79/2	0.125	0.015	विरज पुत्र कोन्दु
14	107	3.939	0.124	भागरती जीजे पन्नालाल
15	142	0.607	0.037	पुनाजी मनाजी धनराज वल्द शिवराम कविता सरिता अनीता वल्द नानकराम सावनी बेवा नानकराम मीरा नाजो कौतिका लीला जानकी अनु पिता शिवराम मनी झनि मोती कैलाश वल्द चैतराम कचरा कांति पिता चैतराम जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
16	144	0.174	0.015	रामदेवी लाल नानकराम प्रहलाद व. धुन्डू शांता दुर्गा पिता धुन्डू जीतेन्द्र वल्द रामलाल बबली मंजू बाली पिता रामलाल कमल बेवा रामलाल जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
17	148/1	0.425	0.026	कली व. गुन्डू फुन्दा पुनी पिता गुन्डू जाति पंवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
18	148/4	0.064	0.026	भारत मानिक दशरथ वल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
महायोग		17.005	0.984	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-25-अ-82-2019-20-मौजा-दुराबोरगांव-1933.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	दुराबोरगांव	1.485	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2

#### (प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	418	1.072	0.200	सुककु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी, गिरधर पुत्र शिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
2	419	0.607	0.405	ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
3	420	0.526	0.430	भुरा पुत्र संगी पता बैतूल मध्य प्रदंश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4	427	1.032	0.450	मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		3.237	1.485	

1. चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्र.-34-अ-82-2019-20-मौजा-देहगुड़-1932.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	देहगुड़	4.499	देहगुड़ लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	322	1.335	0.480	भागरती जौ. काशीराम अनुसया जी हिराजी सोनी जौ. जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	521	0.134	0.134	
2	325/1	1.134	0.240	रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लख्खू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी
3	325/2	0.283	0.110	कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	509/1	1.035	0.170	आत्माराम अर्जून मिटठु व. भूजंगा अंजू सकू पिता
	510/3	0.045	0.045	भूजंगा इठू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह
	554	0.729	0.240	
	571	1.064	0.150	
5	509/2	0.844	0.220	बसंतराव लक्ष्मण व. इटोलराव पता सा. देह भूमि स्वामी
6	509/4	1.344	0.160	सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति मेहरा सा. देह
	510/1	0.073	0.050	
	510/2	0.282	0.200	
7	518	1.218	0.390	भीमराव श्यामराव व. घुड़िया सारजा गिरजा पिता घुड़िया सा. देह भूमि स्वामी
8	520/2	0.820	0.020	श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमि स्वामी
9	520/3	0.528	0.050	लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व. सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढई सा. देह भूमि स्वामी

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
10	522	0.259	0.160	धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व. तेजी मिट्टन बेवा तेजी सया फुलवन्ती भूमि स्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमि स्वामी
11	544/2	0.304	0.050	मोरश्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थू सया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमि स्वामी
	546/1	0.350	0.300	
12	546/2	0.350	0.300	चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना.बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
13	547/1	0.344	0.140	अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
14	550	1.311	0.080	साहेबराव रमेश व. गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोंदिया पार्वती बेवा गोंदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व.
	551	0.340	0.320	
15	552/1	0.804	0.150	रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
16	552/2	0.284	0.050	भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमि स्वामी
17	552/3	0.458	0.120	कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
18	553	0.202	0.170	गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
महायोग		15.874	4.499	

1. चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-35-अ-82-2019-20-मौजा-लिहदा-1919.-

बैतूल, दिनांक 13 फरवरी 2020

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	लिहदा	0.311	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु

## अनुसूची -2

## प्रभावित धारको की सूची

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	बाबूराव ज्ञानराव प्रयागराव वल्द गुणवन्तराव, अन्जूर मंदा, सुनिता पिता गुणवंता सा० पौनी भूमिस्वामी	283	1.619	0.200
2	राजेन्द्र सत्यप्रकाश ओमप्रकाश व. काशीनाथ उषाबाई पिता काशीनाथ रकू बकू पिमा चिंध्या सा. पौनी	284/4	1.578	0.111
	योग		3.197	0.311

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र.-36-अ-82-2019-20-मौजा बोरगांव उर्फ शेरगढ़-1928.-

चूँकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग	सार्वजनिक प्रयोजन का
			क्षेत्रफल(हे०में)	
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	बोरगांव उर्फ शेरगढ़	22.332	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

**अनुसूची- 2**

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०	धारक का नाम	खसरा नंबर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/1	1.216	0.050
2	दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/2	1.620	1.040
3	कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी	474/3	0.809	0.709
		474/5	0.136	0.136
4	सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह	474/4	0.135	0.135
5	नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/2	0.556	0.356
6	झेलो पत्नि सीताराम जाति गोंड सा. देह	614/2	1.618	0.150
7	पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/4	0.405	0.200
8	हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता फगना बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहेबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहेबलाल जाति गोंड सा. देह	559	2.679	1.549
		555	1.279	0.900
		554	0.672	0.470
9	ढिमढा, ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह	557	2.100	1.800
10	गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह	565	1.214	1.214

अ0क्र0	धारक का नाम	खसरा नंबर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
11	भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्दुरंग विट्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी	574/1	0.020	0.020
12	नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	574/2	2.063	1.602
13	कौशलया जौ. सुरत पवार सा. देह भूमिस्वामी	574/3	2.084	2.084
14	मनिराम पुत्र मलकू जाति गोंड सा. देह	615/1/2	1.800	0.100
15	रागू श्यागू व. परसू मैना बेवा परसू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी	473/1	1.030	1.030
		478/1	0.809	0.809
16	सुमेलाल इनक व. पतिराम अमरलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह	473/3	1.153	0.403
17	मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी	473/2	1.080	0.733
18	अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी	477	2.582	0.210
		479	1.234	0.030
		472	2.306	1.106
19	राखड्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी	468/2	2.220	1.540
20	चिरौती भीमराव चुरू व. सकडू विमला जुग्गा पिता सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह	609	7.916	2.840
21	बाजी दाजी दशरया व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह	551	4.071	0.039
		566	0.555	0.555
		562	0.275	0.210
		561	0.166	0.166
		560	0.146	0.146
योग			45.949	22.332

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र.-37-अ-82-2019-20-मौजा गरव्हा-1926.-

चूक समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	गरव्हा	20.614	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु

#### अनुसूची -2

#### प्रभावित धारको की सूची

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव व. मारोती जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/11	0.290	0.095
2	मानिकराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	197/12	0.300	0.030
		197/6	0.264	0.264
3	सन्तोषराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. पचधार भूमिस्वामी	197/13	0.466	0.020
4	पंजू व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/10	1.050	0.890
5	अजाबराव व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/9	1.020	1.020
		197/7	0.405	0.405
6	सन्तोषराव व. महादेव जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी	197/8	1.214	1.034
		236/1	1.084	0.050
7	बहना बेवा मानिकराव सुधाकर बोंदरू उर्फ काशीनाथ पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	208/1	0.215	0.115
		187	0.736	0.066
		171	0.947	0.547
8	हरि व. हिम्मत जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	196/2	0.392	0.285
		208/2	0.214	0.165
		186/2	0.911	0.911
		207	0.041	0.041

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
9	जगन व. सुडकया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	195/1	0.237	0.237
		194/1	0.245	0.245
		170/1	0.152	0.152
10	कचरया उर्फ कचरू व. अन्ता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	193/1	0.748	0.748
		212	0.971	0.050
11	कला पिता मिट्टू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	215	0.352	0.020
12	रेखाबाई पति राजेश जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	209	0.429	0.380
		185/2	1.008	0.738
13	गणेश व. नारायण पता सा. देह भूमिस्वामी	210	0.089	0.089
		173	0.927	0.927
		175	0.550	0.550
		172	0.380	0.380
		177	0.510	0.070
14	सम्पत्ति लक्ष्मण व. भूरा कला पिता भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	211	2.622	0.460
		249	0.866	0.220
		167/1	1.502	0.700
15	रामा, गोरेलाल, नामदेव सुदामा व. श्यामलाल दुन्नो जमना रामप्यारी रामरती पिता श्यामलाल रूपराम तुलजी रामजी चन्द्रशेखर कम्फु व. दरियाव कस्तुरी बेवा दरियाव फगनी मनेबी मिरा पिता दरियाव रामदास रामचंद्र रामचरण रमेश उदेराम व. डोमा गुंता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा बतस बेवा डोमा जाति किराड़ पता नि. देवडोंगरी	248	0.526	0.050
16	नामदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	184/2	0.106	0.106
17	सुखदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	176	1.149	0.999
18	ज्ञानदेव वासुदेव पिता पुजाबराव रेखा आशा पिता पंजाबराव उर्मिला उर्फ यशोदा मीरा पिता हिम्मत कविता निर्मला पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	174	0.381	0.381
19	बेनीराम व. गणपती जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	60/4	1.377	0.390
		59/3	0.333	0.123

श्री क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
20	रघुनाथ व. नारायण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/3	2.591	0.400
21	यमुनाबाई जौ. श्यामू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/5	0.243	0.100
22	वामनराव व. अमृतराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/1	0.115	0.115
23	अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/2	0.382	0.242
24	सुमति बेवा रामचन्द्र जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	45/4	0.907	0.607
25	सुनोहर व. बाबूराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	44/1	0.942	0.140
26	गोमा व. गंगाराम जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	88/7	0.121	0.121
27	सरू पिता गेंदू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	123/3	0.688	0.688
28	दुर्गा बेवा ओमकार विजयकुमार प्रेमकुमार व. ओमकार ममता पिता ओमकार जाति कुन्बी पता नि.	494/2	5.261	0.190
29	गोविंदराव भैया श्यामराव व. गेंदू पता सा. देह भूमिस्वामी	494/5	2.832	0.160
30	गुलाबराव पिता फोलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मारोती श्यामू पिता सरजेराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	494/3	5.310	0.110
31	भारत व. टीकाराम लता पिता टिकाराम तुलसीराम व. मोतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	494/6	2.120	0.460
32	रूपा बेवा श्यामराव मेंदरो सया सुखजी बाया पिता श्यामराव मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	490/2	0.819	0.350
33	भगवान पिता रामजी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	465/1	3.484	0.220
34	नत्थू व. देवराव सकु उर्फ सकुन्तला पिता देवराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	449/1	1.756	0.340
		450/1	2.015	0.150
35	तुलसीराम व. सहादेव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	481	1.752	0.110
36	बैना बेवा रामप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	480/2	0.709	0.220
37	धनराज व. रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	480/1	1.537	0.650
38	धनराज व. रामराव अंजनी उर्फ अंजू बेवा रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	487	4.687	0.170



अ0 क्र0	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमिका रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
39	बतस बेवा डोमा रामदास रामचंद्र रामचरण उर्फ मुन्ना रमेश उदेराम व. डोमा गुन्ता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा पता सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी	197/2	0.592	0.050
40	प्रकाश व.परसराम जाति कुन्बी पता सा. पचधार भूमिस्वामी	424/1	0.293	0.180
41	पुंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती अंजनी बेवा रघुनाथ ज्ञानदेव नामदेव इन्द्रदेव व. रघुनाथ नासिका पिता रघुनाथ पता सा. पचधार भूमिस्वामी	423	3.336	0.080
42	महादेव व. वामनाराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	130/1	0.607	0.180
43	कुण्डलिकराव व. भैया जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	58/3	0.353	0.353
44	भोजराज व. हेमुराज कुन्बी सा. देह	59/2	0.295	0.015
45	सिंधू पिता भोजू लक्ष्मण वामन मधू व. भोजू कुन्बी सा. देह	130/4	0.405	0.260
	योग	65	68.891	20.614

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-38-अ-82-2019-20-मौजा बिसनूर-1918.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	बिसनूर	0.630	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में डी पी. टी. एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु

## अनुसूची -2

## प्रभावित धारको की सूची

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1 A	धनराज वल्द नथ्या, कुंबी सा० देह	779/3	0.279	0.035
1 B	जया पिता नथ्या कुन्बी सा० देह	779/4	0.279	0.015
2	नामदेव कुंडलीक उर्फ ब्रम्हदेव व० मारोती, तुकाराम व० गणपती कुंबी सा० देह	784/2	0.607	0.222
		783/2	0.607	0.142
3	सोनबा व. आतमाराम बोंदर्या झिगू अम्बू व. मारोती भागरती बेवा मारोती पारबती पिता मारोती मिट्टू व. नथ्या कुन्बी सा. देह	768	0.446	0.006
4	मारोती व. शिवराम जाति कुन्बी सा. देह	796/2	2.115	0.210
	योग		4.333	0.630

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र.-39-अ-82-2019-20-मौजा बोरगांव-1921.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कर्मांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बेतूल (म०प्र०)	मुलताई	बोरगांव	3.445	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु

## अनुसूची -2

## प्रभावित धारको की सूची

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	पूजी बेवा मोहनलाल आनंदराव मुकुंदराव उर्फ मुकिंदराव मंहेगीलाल तानी तापी पिता मोहनलाल, पुशमा चिंधी बेवा खुश्याल मेहरा	170	0.227	0.227
2	नामदेव सुखदेव डोमू उर्फ रामकिशोर व. गोंदू उर्फ गेंदू चिंधी उर्फ चिंदा सकुन उर्फ गुन्ता अंजू उर्फ अंजना पिता गोंदू उर्फ गेंदू जाति लोहार	179	0.502	0.502
3	छोटेलाल गुलाबराव पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड़ सा. देवडोंगरी	172/1	0.237	0.237
		164/1	0.492	0.080
4	गब्बू व. सुखचंद जाति किराड़ सा. देह	172/3	0.237	0.237
5	हीराचंद व. रूपचंद जाति किराड़ सा. देह	166/1	0.081	0.081
		167/1	0.728	0.728
6	तिलक व. बली बटनी बेवा बिरजू नामदेव सदा सकु व. बिरजू लाहो गुंता मुन्नी पिता बिरजू तुन्नू व. आत्माराम नर्मदी शान्ता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम रामदयाल रामदीन वासुदेव व. आत्माराम इमला हैबती पिता आत्माराम गजरा बेवा आतमाराम सुदर्शन व. गीरधर गोदावरी पिता गीरधर सा. देह	12	0.615	0.553
7	निरोज पिता द्वारकाप्रसाद जाति तेली सा. देह गाल व. कचर्या सा. देह	368/2	0.364	0.364
		368/1	0.405	0.405
9	देवराव पिता माखन जाति किराड़	44/1	0.505	0.031
10	हरीलाल व. चंदूलाल सा. देह	64	1.307	मकान 1
	<b>योग</b>		<b>5.700</b>	<b>3.445</b>

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र.-40-अ-82-2019-20-मौजा पचधार.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल(हे०में)	
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	पचधार	1.198	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु

### अनुसूची -2

#### प्रभावित धारको की सूची

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	अमरू पिता झुम्मकलाल जाति धोबी सा. देह	39/2	0.381	0.004
2	जयवंती पिता दीपक जाति किराड़ सा. देह	39/3	0.385	0.004
3	दीपक पिता उदराम जाति किराड़ सा. देह	39/4	0.405	0.004
4	रामकिशोर पिता उन्नतराम जाति किराड़ सा. देह	39/5	0.283	0.004
5	कांतीबाई पिता रामकिशोर सा. देह	39/6	0.208	0.004
6	शिवदयाल पिता श्रीराम जाति किराड़ सा. देह	245	1.056	0.018
		246/3	0.174	0.060
7	गोलू उर्फ रामदयाल पुत्र रूपचन्द किराड़ सा. देह	244	0.628	0.013
8	मल्लू दल्लू कल्लू पिता कुलपत जाति किराड़ सा. देह	243	0.417	0.010
9	सुखचंद पिता फत्या जाति किराड़ सा. देह	242/1	0.178	0.010
10	गैदू पिता सखाराम किराड़ सा. देह	241/1/1	0.375	0.009
11	भभीचंद मुन्नी पिता भददू जाति किराड़ सा. देह	241/1/4	0.377	0.014

अ० क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
12	रामदयाल कमला पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह	241/1/5	0.376	0.012
13	रामरति बेवा ईठोबा देविलाल पिता ईठोबा मनोज कमला उर्फ विमला, संगीता उर्फ वन्दना पिता ईठोबा सा. देह	241/2	0.375	0.015
		258/2	0.4	0.015
14	तारा बेवा मिट्टू नागोराव गोपाल फूला पिता मिट्टू जाति किराड़ सा. देह	241/1/2	0.375	0.032
15	जोगीराम गोधी पिता सदू किराड़ सा. देह	241/1/3	0.376	0.008
		258/1	0.109	0.008
16	कारो बेवा घुड़ू रामकिशोर प्रकाश शिवरती पिता घुड़ू नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह	261/4	0.405	0.047
17	सुरजलाल पिता गेंदू किराड़ सा. देह	261/6	2.185	0.090
18	शिवकिशोर अनीता रेखा पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह	261/7	2.117	0.113
19	फत्तू पिता सुक्या नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह	260/3	0.687	0.018
20	नंदकिशोर पिता मददती ईमला उर्फ विमला देवकी पिता मददती किराड़ सा. देह	260/2	0.688	0.042
21	सुरजलाल, भूता उर्फ शास्त्री किशोरी, अंजीरा पिता गेंदू ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल कला बेवा अमरलाल किराड़ सा. देह	260/1	0.648	0.015
22	देवीलाल मनोज पिता ईठोबा सा. देह	257/1	0.203	0.006
23	समप्यारी पत्नि भभीचंद सा. देह	257/2	0.202	0.006
24	नामदेव पिता रामचरण किराड़ सा. देह	256/3	0.38	0.009
25	जीवनलाल पिता रामचरण किराड़ सा. देह	256/2	0.38	0.009
26	कैलाश लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश पिता मुन्नालाल किराड़ सा. देह	256/1	0.497	0.009
27	वामन व. लाहनू जाति रज्जड़ सा. देह	286/10	0.202	0.020
		286/6	0.061	0.014
28	मना बेवा रामराव पांडुरंग गोविंदराव भीमा मुन्नी सुनीता पिता रामराव सा. देह	286/9	0.081	0.020
		286/11	0.595	0.023
29	सोना बेवा श्यामराव पंजु अजाबराव संजीव व. श्यामराव सुशिला पिता श्यामराव जाति रज्जड़ सा. देह	286/8	0.405	0.034

क्र.क0	धारक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
30	वासुदेव व. सम्पती कुन्बी सा. देह	286/5	0.364	0.030
		286/4	0.405	0.024
31	पूजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती कुन्बी सा. देह	286/3	0.466	0.020
32	झोंगो पिता भोम्या सा. देह	286/2	1.113	0.097
33	भीमराव उमराव व. श्यामराव कुन्बी सा. देह	294/6	0.020	0.020
34	बीपक व. उदेराम किराड़ सा. देह	294/4	0.026	0.026
35	सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचंद रामकला पिता अमरचंद कमलू बेवा उदेराम चटर दीपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम सा. देह	294/1	2.572	0.250
		39/1	1.855	0.012
		42	23.435	1.198

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-41-अ-82-2019-20-मौजा-घाटबिरोली-1917.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाटबिरोली	0.250	घाटबिरोली लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	59	1.428	0.250	रुख्मी बेवा जन्मा मधु पिता जन्मा धनराज पुत्र आपा निर्मला, मैनु पुत्री आपा दिव्या पिता दुव्या सा. देह
महायोग		1.428	0.250	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-42-अ-82-2019-20-1924.-

चूंकि, समुचित सञ्चालन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	देवडोंगरी	5.618	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसडोह परियोजना के द्वै क्षेत्र हेतु

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	कलीराम शोभाराम व. अमरलाल सा. नांदकुडी	156/1	1.869	1.200
2	श्रीराम किशोरी हरिराम दिनु व. नत्थू अन्जी पूरमा प्रमिला पिता नत्थू मंगली कला पिता अंछाराम सुखदेव हेमराज धनराज उर्फ सिही बिसन किसनलाल व. तुलसीराम मीरा सुगन्ती रामरती फूलवती कलावती निर्मला पिता तुलसीराम पूंजी बेवा बालाराम शान्ता बेवा विजय शंकर सुदन अभीराम व. बालाराम पता निवासी ग्राम इम्ला लीला उर्मिला रमल सुनीता पिता बालाराम उर्फ प्यारेलाल किराड़ भजनलाल व. विजयशंकर मीना रमा पिता विजयशंकर पता निवासी ग्राम नांदकुडी रामकिशन मनोहर जवाहरलाल चन्द्रभान व. फत्या रामप्यारी अनुसया निर्मला पिता फत्या सावजी व. परसराम सुनीता जौ. गुलाबराव निवासी बोरडा महाराष्ट्र जाति किराड़	12/1	4.532	4.162
		54		

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
3	जयवंती बेवा भोम्या जाति मेहरा सा. देह	28/2	0.256	0.256
	योग			5.618

1- चूंकि पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-49-अ-82-2019-20-1922.-

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मल्हारा	2.986	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	मल्हारा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु



## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	मूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बुधिया. पति हिरालाल सा. देह	235/2	2.622	0.100
		239/1	0.183	0.083
2	हिरालाल पिता काशीराम गुंजन ज्योती डाली पिता नत्थू सा. देह	214/1	4.668	0.430
3	मधुबाला पिता गोकुलप्रसाद जाति कलार सा. देह	214/2	0.245	0.150
		235/3	1.198	0.100
		240/4	0.783	0.133
4	रामदिन पिता रामाधार हिरालाल पिता काशीराम रेखा बेवा नत्थू रामदयाल शंकर शिवकुमार पिता नत्थू बेबी पिता नत्थू सा. देह	240/3	0.850	0.050
5	शान्ताबाइ पति फुस्या सा. देह	241/1 60 60	0.876	0.276

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
6	फुस्या पिता सुरत सा. देह	237/3	0.640	0.550
		241/2	0.877	0.327
7	ओझा पिता सुग्गन रासु पिता सुग्गन सा. देह	242/2	0.093	0.046
8	धनजी पिता शंकर सा. देह	237/2	2.629	0.200
9	कला पिता श्यामू भागा पिता श्यामू गया पिता रामजी विजय सुरेन्द्र पिता रामजी संगीता प्रमिला पिता रामजी सा. देह	215/2	1.077	0.077
10	हिरालाल पिता काशीराम सा. देह	239/2	0.364	0.064
		246/3	1.820	0.400
योग			<b>18.925</b>	<b>2.986</b>

1- चूंकि मल्हारा लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2018

क्र. 386-स्था. सैट-2018.—श्री प्रशांत बागजिलेवाले, निजी सहायक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर को मुख्यपीठ जबलपुर में रिक्त निजी सचिव के पद के वेतन बैंड-9300-34800+ग्रेड पे रु. 4800 (7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. D-834-दो-2-37-2019.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2020 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-836-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्र. B-863-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 फरवरी से 31 मार्च 2020 तक चवालीस दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. D-639-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 13 से 16 जनवरी 2020 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. D-718-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 27 जनवरी से

1 फरवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-720-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-722-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 23 नवम्बर 2019 का, दिनांक 4 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 11 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 14 दिसम्बर 2019 का तथा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 का कुल छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. D-1152-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 10 से 12 फरवरी

2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1154-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 20 जनवरी 2020 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 20 से 21 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1156-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 17 से 20 फरवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1158-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1161-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 23 से 24 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1163-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 9 से 10 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्र. B-873-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 6 से 11 जनवरी 2020 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 9 से 11 जनवरी 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-1253-दो-2-7-2019.—श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोनी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1255-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 से 22 जनवरी 2020 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1257-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1259-दो-2-11-18.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1261-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.